रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-128

REGISTERED NO. D. (D..)

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 515] नई दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 12, 1987/आश्विन 20, 1909
No. 515] NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 12, 1987/ASHVINA 20, 1909

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय

नई दिल्ली, 12 अक्तूबर, 1987

अधिसूचना

का. आ. 900(अ) :- एक स्कीम अर्थात मद्रास गैरपंजीकृत डाक क्लीयरिंग एवं फोरवर्डिंग श्रमिक (रोजगार का विनियमन) स्कीम, 1987 का निम्नलिखित मसौदा, जिसे केन्द्र सरकार का, डाक श्रमिक (रोजगार का विनियमन) अधिनियम, 1948 (1948 का 9) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बनाने का प्रस्ताव है, इसके द्वारा प्रभावित होने की संभावना वाले सभी व्यक्तियों की सूचना के लिए उक्त उपधारा की अपेक्षानुसार एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है और नोटिस दिया जाता है कि उक्त मसौदे पर, इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिनों की समाप्ति पर या उसके बाद विचार किया जाएगा।

2. किसी, व्यक्ति से उक्त अवधि के अंदर प्राप्त होने वाली आपत्तियों या सुझावों पर केन्द्र सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

स्कीम का प्रारूप

1, लघु शीर्ष एवं प्रारंभः--(i) यह स्कीम मद्रास गैर-पंजीकृत डाक क्लीयरिंग एवं फोरवर्डिंग श्रमिक (रोजगार का विनियमन) स्कीम, 1987 कही जाएगी (इसके बाद इसे "स्कीम" कहा गया है)।

(ii) यह, सरकारी राजपत्र में इसके अंतिम रूप से प्रकाशित होने की तारीख से प्रवृत्त होगी।

2. उद्देश्य और प्रयोग :— स्कीम के उद्देश्य हैं: (i) डाक क्लीयरिंग एण्ड फारवर्डिंग वर्कर्स के लिए रोजगार में अधिक नियमितता सुनिश्चित करना और यह कि डाक क्लीयरिंग और फारवर्डिंग कार्य के कुशल निष्पादन के लिए पर्याप्त संख्या में डाक क्लीयरिंग और फारवर्डिंग श्रमिक उपलब्ध हों।

(ii) यह स्कीम मद्रास पोर्ट से संबंधित है और अनुसूची 1 में वर्णित गोदी कार्य और गोदी श्रमिकों के वर्ग और विवरण पर लागू होती है:

बशर्ते कि यह स्कीम किसी गोदी श्रमिक पर तब तक लागू नहीं होगी जब तक वह डाक क्लीयरिंग और फारवर्डिंग श्रमिक के रूप में रोजगार में नहीं है या रोजगार के लिए सूचीबद्ध नहीं है।

(iii) यह स्कीम अनुच्छेद 3 के उप अनुच्छेद (ठ) और (ड) में परिभाषित सूचीबद्ध डाक क्लीयरिंग एंड फारवर्डिंग श्रमिकों और सूचीबद्ध नियोक्ताओं पर लागू होगी।

3. परिभाषाएं :— स्कीम में यदि विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, तो -

(क) "अधिनियम" का अर्थ है-गोदी श्रमिक (रोजगार का विनियमन) अधिनियम, 1948 (1948 का 9);

(ख) "प्रशासनिक निकाय" का अर्थ है—अनुच्छेद 4 के तहत नियुक्त प्रशासनिक निकाय;

(ग) "बोर्ड" का अर्थ है - मद्रास डाक लेबर बोर्ड;

(घ) "अध्यक्ष" का अर्थ है - बोर्ड का अध्यक्ष;

(ड) "उपाध्यक्ष" का अर्थ है – बोर्ड का उपाध्यक्ष ;

(च) "दैनिक श्रमिक" का अर्थ है – सूचीबद्ध डाक ग एंड फारवर्डिंग श्रमिक जो मासिक श्रमिक नहीं है ;

(छ) "नियोक्ता" का अर्थ है – वह व्यक्ति जिसके द्वारा अनुच्छेद 15 के उप अनुच्छेद (1) के मद (ख) और (ग) के तहत डाक क्लीयरिंग एंड फारवर्डिंग श्रमिक नियुक्त किया जाता है या नियुक्त किया जाना है। जिसमें क्लीयरिंग एजेंट, आयातक, निर्यातक या क्लीयरिंग और फारवर्डिंग कार्य में लगा ठेकेदार शामिल हैं;

(ज) "गोदी कार्य" का अर्थ है – उन स्थानों या अहातों पर क्लीयरिंग और फारवर्डिंग कार्य जिससे स्कीम संबंधित है, सामान्य रूप से डाक क्लीयरिंग और फारवर्डिंग श्रमिकों द्वारा निष्पादित, जिनके बारे में स्कीम लागू होती है;

(झ) "नियोक्ता रजिस्टर" का अर्थ है – स्कीम के तहत रखा गया नियोक्ता रजिस्टर;

(ञ) "रजिस्टर या रिकार्ड" का अर्थ है—स्कीम के तहत डाक क्लीयरिंग और फारवर्डिंग श्रमिकों का रखा गया रजिस्टर या रिकार्ड ;

(ट) "सूचीबद्ध" डाक क्लीयरिंग एंड फार्वडिंग वर्कर्स का अर्थ है – वह गोदी श्रमिक जिसका नाम फिलहाल रजिस्टर या रिकार्ड में दर्ज है;

(ठ) "श्रम अधिकारी का अर्थ है – बोर्ड द्वारा अनुच्छेद 12 के तहत नियुक्त श्रम अधिकारी;

(ड) "मासिक श्रमिक" का अर्थ है—सूचीबद्ध डाक क्लीयरिंग और फारवर्डिंग श्रमिक जिन्हें किसी नियोक्ता या ऐसे नियोक्ताओं के किसी दल द्वारा करार के तहत मासिक आधार पर लगाया जाता है जिसमें किसी भी पक्ष की ओर से एक माह के नोटिस पर रद्द किया जा सकता है ;

(ढ) "कार्मिक अधिकारी" का अर्थ है – बोर्ड द्वारा अनुच्छेद 5 के तहत नियुक्त कार्मिक अधिकारी;

(ण) "सूचीबद्ध नियोक्ता" का अर्थ है – वह नियोक्ता जिसका नाम फिलहाल नियोक्ता रजिस्टर में दर्ज है ;

(त) "नियम" का अर्थ है – गोदी श्रमिक (रोजगार का विनियमन) नियम, 1962;

(थ) "अनुसूची" का अर्थ है – स्कीम के साथ संलग्न अनुसूची ;

(द) "सप्ताह" का अर्थ है – शनिवार की मध्यरात्रि से लेकर अगले शनिवार की मध्यरात्रि तक की अवधि ।

4. प्रशासनिक निकाय:– (i) केन्द्रीय सरकार सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा कोई निकाय नियुक्त करेगी, जिसमें क्लीयरिंग और फारवर्डिंग श्रमिकों के नियोक्ता होंगे, या कोई अन्य प्राधिकारी को स्कीम के दैनिक प्रशासन के प्रयोजन के लिए प्रशासनिक निकाय नियुक्त करेगी।

(ii) प्रशासनिक निकाय, बोर्ड और अध्यक्ष के पर्यवेक्षण और नियंत्रण तथा अनुच्छेद 11 और 42 के उपबंधों की शर्तों पर स्कीम का दैनिक प्रशासन करेगा।

(iii) केन्द्रीय सरकार पर्याप्त कारणों से उप अनुच्छेद (1) के तहत नियुक्त किसी प्रशासनिक निकाय को हटा सकती है :

बशर्ते कि प्रशासनिक निकाय को तब तक नहीं हटाया जाएगा, जब तक इसे सुनवाई का पर्याप्त अवसर नहीं दिया जाता।

5. कार्मिक अधिकारी और अन्य अधिकारी तथा कर्मचारी—बोर्ड कार्मिक अधिकारी और ऐसे अन्य अधिकारियों तथा कर्मचारियों को नियुक्त करेगा और उन्हें वेतन और भत्ता देगा और ऐसी सेवा शर्तें निर्दिष्ट करेगा, जैसा कि उचित समझे :

बशर्ते कि कोई भी पद जिसकी अधिकतम सीमा भत्तों को छोड़कर प्रतिमाह दो हजार रुपए और उससे अधिक है, उसका सृजन नहीं किया जाएगा और ऐसे पदों पर केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन को छोड़कर बोर्ड द्वारा कोई नियुक्ति नहीं की जाएगी :

पुनः बशर्ते कि तीन माह की अवधि की अस्थायी रिक्ति में नियुक्ति के लिए केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होगी।

6. बोर्ड के कार्य:— (1) बोर्ड निम्नलिखित बातों के लिए उपायों सहित अनुच्छेद 2 में निर्दिष्ट स्कीम के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अपेक्षित उपाय करेगा :—

(क) समिति की नियुक्ति, समाप्ति, पुनर्गठन ,

(ख) पत्तन के माध्यम से जल्दी-जल्दी माल के आवागमन के लिए पर्याप्त संख्या में डाक क्लीयरिंग एंड फारवर्डिंग श्रमिकों की सप्लाई और श्रमिकों का उचित उपयोग सुनिश्चित करना ;

(ग) प्रविष्टि और डिस्चार्ज, का विनियमन करना और सूचीबद्ध नियोक्ताओं में उनका आबंटन; डाक क्लीयरिंग और फारवर्डिंग श्रमिकों की स्कीम के अंतर्गत भर्ती ,

(घ) रजिस्टर या रिकार्ड में सूचीबद्ध नियोक्ताओं और सूचीबद्ध डाक क्लीयरिंग एंड फारवर्डिंग श्रमिकों की संख्या नियत करना और उसकी समीक्षा करना तथा किसी ऐसे रजिस्टर या रिकार्ड में संख्या में वृद्धि और कमी करना ;

(ङ) नियोक्ता रजिस्टर रखना, उसमें समायोजन और अनुरक्षण या उसमें किसी नियोक्ता का नाम फिर से दर्ज करना और जहां ऐसी परिस्थिति में अपेक्षित हो, वहां किसी सूचीबद्ध नियोक्ता का नाम उसके अपने अनुरोध पर या स्कीम के उपबंधों के अनुसार उसमें से हटाना ;

(च) ऐसे श्रमिकों, जो क्लीयरिंग और फारवर्डिंग कार्य के लिए अस्थायी तौर पर उपलब्ध नहीं होते हैं, के रजिस्टरों या रिकार्डों सहित डाक क्लीयरिंग और फारवर्डिंग श्रमिकों और जिनको अनुपस्थिति प्रशासनिक निकाय द्वारा अनुमोदित की गई है तथा जहां ऐसी परिस्थितियां अपेक्षित हो, किसी सूचीबद्ध डाक क्लीयरिंग और फारवर्डिंग श्रमिक का, उसके अनुरोध पर या स्कीम के प्रावधान के अनुसार, रजिस्टर या रिकार्ड से नाम हटाने के लिए समय-समय पर ऐसे रजिस्टरों या रिकार्डों को रखना समायोजित करना और रख-रखाव करना ;

(छ) सभी सूचीबद्ध डाक क्लीयरिंग एंड फारवर्डिंग श्रमिकों का ऐसा समूह बनाना जैसाकि बोर्ड द्वारा प्रशासनिक निकाय के परामर्श से तय किया जाएगा और उसके बाद प्रशासनिक निकाय या सूचीबद्ध डाक क्लीयरिंग एंड फार्वडिंग श्रमिकों द्वारा आवेदन करने पर किसी सूचीबद्ध डाक क्लीयरिंग एवं फार्वडिंग श्रमिकों के समूहों की समीक्षा करना ;

(ज) क्लीयरिंग एंड फारवर्डिंग कार्य के हित और अपेक्षाओं की सुरक्षा जिसके लिए बोर्ड को विभिन्न श्रेणियों के श्रमिकों को परस्पर परिवर्तन करने और स्कीम की अधिसूचना की तारीख और उसके बाद समय-समय पर रोजगार के उपलब्ध अवसर के बारे में श्रमिकों की अधिकतम आवश्यकता नियत करने का अधिकार होगा .

(झ) सूचीबद्ध क्लीयरिंग एंड फार्वडिंग श्रमिकों की चिकित्सा सेवाओं सहित उनके प्रशिक्षण और कल्याण का प्रावधान करना ;

(ञ) स्कीम के प्रशासन के लिए सूचीबद्ध नियोक्ताओं पर अंशदान की लेवी और उसकी उगाही ;

(ट) किसी भी कानून जो उस समय प्रवर्तन में है की अपेक्षाओं के अनुसार जहां-जहां ऐसा प्रावधान नहीं है, उन स्थानों पर स्वास्थ्य और सुरक्षा उपायों का प्रावधान करना जहां डाक कर्मोपरिया एवं फार्वर्डिंग श्रमिक नियुक्त हैं ;

(ठ) सूचीबद्ध डाक कर्मोपरिया एवं फार्वर्डिंग श्रमिकों के लिए भविष्य निधि, ग्रेच्युटी निधि और पेंशन स्कीम का अनुरक्षण और प्रशासन ;

(ड) धन उधार लेना या जुटाना और ऋणपत्र या अन्य सिक्योरिटियां जारी करना तथा किसी प्रकार का ऋण या दायित्व प्राप्त करने के लिए बोर्ड की पूरी या आंशिक संपत्ति को बंधक रखना या उस पर प्रभार वसूलना ;

(ढ) सूचीबद्ध डाक कर्मोपरिया एवं फार्वर्डिंग श्रमिकों के लिए फोटो पहचान पत्र जारी करना ;

(ण) केन्द्रीय सरकार को स्कीम में ऐसे परिवर्तन की सिफारिश करना जैसा कि बोर्ड समय-समय पर आवश्यक समझें ;

(त) सूचीबद्ध डाक कर्मोपरिया एवं फार्वर्डिंग श्रमिकों की श्रेणियों से संबंधित कार्य के वास्तविक परिमाण के संबंध में विभिन्न चरणों में मजदूरी और अन्य भत्ते तथा अन्य सेवा शर्तें नियत करना ।

(2) स्कीम के तहत जिस किसी भी स्रोत से प्राप्त बोर्ड की आय और संपत्ति को स्कीम के उद्देश्यों के लिए लगाया जाएगा जिसमें सूचीबद्ध डाक कर्मोपरिया एवं फार्वर्डिंग श्रमिकों के स्वास्थ्य, सुरक्षा, प्रशिक्षण और कल्याण उपाय शामिल हैं (जिसमें बोर्ड के गोदी श्रमिकों और कर्मचारियों के लाभ के लिए बनाई गई सहकारी समितियों का ऋण या अनुदान के रूप में सहायता देना भी शामिल है) और लाभांश बोनस, या अन्य मार्गों द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उसका किसी भी अंश का बोर्ड के सदस्यों को भुगतान नहीं किया जाएगा ।

परन्तु शर्त यह होगी कि यहां दिया गया कोई भी प्रावधान बोर्ड के किसी अधिकारी या बोर्ड के किसी सदस्य को बोर्ड को दी गई वास्तविक सेवा के बदले उचित पारितोषिक और खर्च का भुगतान करने से नहीं रोकेगा न तो किसी सदस्य द्वारा बोर्ड को पट्टे या किराए पर दिए गए अहाते के लिए उचित किराया या उधार दी गई राशि पर ब्याज के भुगतान से रोकेगा और न ही बोर्ड के कर्मचारी और प्रशासनिक निकाय के कल्याण उपायों पर खर्च करने से रोकेगा ।

(3) बोर्ड, स्कीम के प्रचालन की लागत और स्कीम के तहत सभी रसीदों और खर्चों का सही लेखा रखने के लिए कहेगा ।

(4) बोर्ड, केन्द्र सरकार को पेश करेगा --

(i) प्रतिवर्ष अप्रैल की पहली तारीख के तुरन्त बाद किन्तु अक्तूबर के इकत्तीसवें दिन तक मार्च के इकत्तीसवें दिन को समाप्त पिछले वर्ष के दौरान लेखा परीक्षित तुलन पत्र सहित स्कीम के कार्यकरण की वार्षिक रिपोर्ट ;

(ii) बोर्ड की बैठकों की कार्यवाही की प्रतियां ।

7. बैठक में बोर्ड के दायित्व और कार्य :--बैठक में बोर्ड स्कीम संबंधी सभी विषयों के लिए जिम्मेदार होगा, खासकर –

(क) केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन की शर्त पर—

(i) प्रत्येक श्रेणी के अंतर्गत अपेक्षित संख्या नियत करने के बाद विभिन्न श्रेणियों के तहत सूचीबद्ध किए जाने वाले श्रमिकों की संख्या सूचीबद्ध करने से पहले नियत करना ;

(ii) समय-समय पर सूची पर किसी श्रेणी में श्रमिकों की संख्या बढ़ाना या घटाना जैसा भी सूचियों की आवधिक समीक्षा और, प्रत्याशित आवश्यकता के बाद जरूरी हो ;

(iii) किसी श्रेणी में निर्दिष्ट अवधि के लिए निर्दिष्ट संख्या में श्रमिकों की अस्थायी सूची बनाने की मंजूरी देना ;

(ख) अध्यक्ष की सिफारिश पर नए नियोक्ताओं के रजिस्ट्रेशन पर विचार करना ;

(ग) स्कीम के तहत अपेक्षित निर्दिष्ट फार्म, रिकार्ड, रजिस्टर, विवरण आदि ;

(घ) डाक कर्मोपरिया और फार्वर्डिंग श्रमिकों के वेतन, भत्ता, अवकाश नियम और अन्य सेवा शर्तें तय करना और वार्षिक समीक्षा के बाद एक माह में गारंटीशुदा न्यूनतम वेतन दिन में निर्धारित करना ;

(ङ) अनुच्छेद 31 के उप अनुच्छेद (1) के तहत लेवी की दर नियत करना ;

(च) अनुच्छेद 31 के तहत निकाय नियुक्त करना, रद्द करना और पुनर्गठित करना ;

(छ) वार्षिक बजट की मंजूरी ;

(ज) कार्मिक अधिकारी की नियुक्ति ;

(झ) अनुच्छेद 5 के उपबंधों की शर्तों पर पदों के सृजन की मंजूरी और ऐसे पदों पर नियुक्ति करना जिनका भत्तों को छोड़कर अधिकतम वेतन प्रतिमाह दो हजार रुपए तक है ;

(ञ) केन्द्रीय सरकार को स्कीम में किसी संशोधन के बारे में सिफारिश करना ;

(ट) उन विवादों का निपटान का प्रयास करना जिनके बारे में संबंधित पार्टियों द्वारा केन्द्रीय सरकार का मध्यस्थता करने का अनुरोध किया गया है और ऐसे प्रयासों के परिणामों के बारे में सरकार को रिपोर्ट देना ;

(ठ) श्रमिकों के कार्य तथा उद्योगों के उत्पादन की सांख्यिकी पर चर्चा करना और अपने निष्कर्षों और निर्देशों का रिकार्ड करना ; तथा

(ड) इसमें निर्देशानुसार ऐसे राष्ट्रीयकृत बैंकों, भारतीय स्टेट बैंक और उसके सहायक बैंकों में खाता खोलने की मंजूरी देना और समय-समय पर बोर्ड के निर्देशानुसार ऐसे खातों का प्रचालन ।

8. वार्षिक प्राक्कलन :-- (1) अध्यक्ष, प्रतिवर्ष फरवरी के अंत में पहले होने वाली विशेष बैठक में इस स्कीम के अनुच्छेद 11 के मद (ज) के तहत प्रशासनिक निकाय से यथा प्राप्त बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट ऐसे ब्यौरे और रूप में अप्रैल के पहले दिन से आरम्भ से संबंधित स्कीम का वार्षिक बजट बोर्ड के समक्ष रखेंगे ।

(2) बोर्ड अपने समक्ष रखे गए प्राक्कलन पर विचार करेगा और इसके पेश करने के चार सप्ताह के भीतर अपरिवर्तित या यथा उचित परिवर्तनों के साथ उसकी मंजूरी देगा ।

9. अध्यक्ष के दायित्व और कर्तव्य– (1) अध्यक्ष को स्कीम के दैनिक प्रशासन से संबंधित सभी विषयों के संबंध में पूर्ण प्रशासनिक और कार्यपालक अधिकार होगा, और खासकर –

(क) यह सुनिश्चित करना कि श्रमिक रजिस्टरों के अनुरक्षण के बारे में बोर्ड के निर्णय का जल्द ही पालन किया जाता है ;

(ख) यह सुनिश्चित करना कि श्रमिकों के अस्थायी सूचीकरण के लिए अविलम्ब मंजूरी दी जाती है ;

(ग) (i) प्रशासनिक निकाय के कार्य का पर्यवेक्षण और नियंत्रण ;

(ii) यदि उनके द्वारा किन्हीं अनियमितताओं का पता चलता है या उनके ध्यान में लाई जाती है, तो उपयुक्त कदम उठाना ;

(घ) यह सुनिश्चित करना कि सूचीबद्ध नियोक्ताओं द्वारा उनके कार्य पर लगे श्रमिकों के कार्य पर उचित और पारिश्रमिक

(ङ) यह सुनिश्चित करना कि श्रमिकों के स्थानान्तरण और पदोन्नति के बारे में स्कीम के प्रावधानों का पालन होता है ;

(च) जहां अपेक्षित चिकित्सा बोर्ड का गठन ;

(छ) यह सुनिश्चित करना कि उनके द्वारा स्कीम में नियोक्ताओं के रजिस्ट्रेशन के लिए निर्दिष्ट शर्तों का पालन होता है ;

(ज) यह सुनिश्चित करना कि स्कीम के तहत निर्दिष्ट सभी फार्म, रजिस्टर, रिटर्न और कागजात उचित रीति से रखे जाते हैं ;

(झ) यह सुनिश्चित करना कि श्रमिकों के कार्य तथा कार्य के टर्न राउण्ड के बारे में उपयुक्त सांख्यिकी का संकलन होता है और उसे उचित टिप्पणी तथा स्पष्टीकरण के साथ हर तिमाही में बोर्ड के समक्ष रखा जाता है ;

(ञ) उन पदों के सृजन को अनुच्छेद 7 के उप अनुच्छेद (झ) के तहत बोर्ड की शक्तियों को प्रभावित किए बिना मंजूरी देना जिनके वेतन का भत्तों को छोड़कर अधिकतम सीमा प्रतिमाह 1930 रु० है तथा ऐसे पदों पर नियुक्तियां करना ;

(ट) स्कीम के प्रावधानों के अनुसार श्रमिकों और नियोक्ताओं के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई करना ;

(ठ) अनुच्छेद 26 के उप अनुच्छेद (2) के मद (ग) के तहत प्रति श्रमिक प्रति सप्ताह या प्रतिमाह अधिकतम शिफ्टों की संख्या में ढील देना और बोर्ड को ऐसे मामलों की रिपोर्ट देना ;

(ड) यह घोषित करना कि "धीरे काम करो" या और स्कीम के तहत यथा प्राधिकृत कार्रवाई करना;

(ढ) "आपातकाल" घोषित करना और स्कीम के तहत यथा प्राधिकृत कार्रवाई करना ;

(ण) गोदी श्रमिक (रोजगार का विनियमन) नियम, 1962 के नियम 5 के तहत जब आवश्यक हो, केन्द्रीय सरकार को एक रिपोर्ट देना;

(त) अनुच्छेद 45 और 46 के तहत अपीलों को देखना;

(थ) स्कीम के तहत अध्यक्ष में निहित अन्य सभी कर्तव्यों और दायित्वों का निर्वाह करना ।

(2) अध्यक्ष उपरोक्त उप अनुच्छेद (1) के तहत ऊपर मदों (ट), (ड) (ण), (त), (थ) और (द) में उल्लिखित कार्यों को छोड़कर लिखित रूप में कोई भी कार्य और कर्तव्य उपाध्यक्ष को प्रदत्त कर सकता है। तथापि, इस प्रकार अधिकार प्रदत्त करने से अध्यक्ष अधिकार से वंचित नहीं होगा।

10. उपाध्यक्ष के दायित्व और कार्य : उपाध्यक्ष, बोर्ड का पूर्णकालीन अधिकारी होगा और अध्यक्ष को अपने कार्यनिर्वहन में सहायता करेगा और खासकर--

(क) अनुच्छेद 42 के तहत अनुज्ञेय सीमा तक सूचीबद्ध नियोक्ताओं और क्लीयरिंग तथा फार्वर्डिंग श्रमिकों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई से संबंधित कार्य निर्वहन करना;

(ख) बोर्ड की समितियों के अध्यक्ष के रूप में कार्य करना जिनमें वह एक सदस्य के रूप में नामित हो;

(ग) अध्यक्ष की अनुपस्थिति में बोर्ड की बैठकों की अध्यक्षता करना ;

(घ) उसे अनुच्छेद 11 के अधीन प्रशासनिक निकाय का कार्य करने के लिए अनुच्छेद 4 के तहत नियुक्त किया गया है या अनुच्छेद 4 के तहत कोई भी प्रशासनिक निकाय नियुक्त नहीं है;

(ङ) अध्यक्ष द्वारा लिखित रूप में प्रदत्त ऐसे अन्य कार्यों का प्रयोग;

(च) अनुच्छेद 7 के अधीन बोर्ड की और अनुच्छेद 9 के अधीन अध्यक्ष की शक्तियों को प्रभावित किए बिना उन पदों पर नियुक्तियां करना जिनकी भत्तों को छोड़कर अधिकतम वेतन सीमा प्रतिमाह 1630 रुपए से अधिक नहीं है।

11. प्रशासनिक निकाय के कार्य :—बोर्ड की शक्ति और कार्यों पर प्रतिकूल असर डाले बिना अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, प्रशासनिक निकाय स्कीम के प्रशासन के लिए जिम्मेदार होंगे और खासकर इन बातों के लिए---

(क) नियोक्ता रजिस्टर रखना, उसमें समायोजन करना और उसका रख-रखाव, उसमें किसी नियोक्ता का नाम दर्ज करना या फिर से दर्ज करना और जहां ऐसी परिस्थिति हो, उनके अनुरोध पर या स्कीम के प्रावधानों के अनुसार सूचीबद्ध श्रमिकों के नाम रजिस्टर से हटाना ;

(ख) सूचीबद्ध डाक क्लीयरिंग एण्ड फार्वर्डिंग श्रमिकों के ऐसे रजिस्टर या रिकार्ड रखना उसमें समायोजन करना और उसका रख-रखाव करना, जिसमें डाक क्लीयरिंग एण्ड फार्वर्डिंग श्रमिकों का कोई रजिस्टर या रिकार्ड शामिल है, जो अस्थायी रूप से कार्य के लिए उपलब्ध नहीं है और जिनकी अनुपस्थिति का अनुमोदन प्रशासनिक निकाय ने किया है और जहां ऐसी परिस्थिति की ऐसी अपेक्षा है, वहां किसी सूचीबद्ध डाक क्लीयरिंग एण्ड फार्वर्डिंग श्रमिक के नाम उनके अपने अनुरोध पर या स्कीम के प्रावधानों के अनुसार, उसका नाम किसी रजिस्टर या रिकार्ड से हटाना ;

(ग) कार्य के लिए उपलब्ध सूचीबद्ध डाक क्लीयरिंग एण्ड फार्वर्डिंग श्रमिकों का रोजगार और नियंत्रण जब वे स्कीम के अनुसार अन्यथा नियुक्त नहीं है ;

(घ) पूल में सूचीबद्ध डाक क्लीयरिंग एण्ड फार्वर्डिंग श्रमिकों का आवंटन जो कार्य के लिए सूचीबद्ध नियोक्ताओं को उपलब्ध है और इस प्रयोजन के लिए प्रशासनिक निकाय--

(i) नियोक्ता के लिए एजेन्ट के रूप में कार्य करता समझा जाएगा;

(ii) पूल में सूचीबद्ध डाक क्लीयरिंग एण्ड फार्वर्डिंग श्रमिकों का अधिक से अधिक उपयोग करना ;

(iii) सूचीबद्ध डाक क्लीयरिंग एण्ड फार्वर्डिंग श्रमिकों के काल प्वाइंटों पर उपस्थिति का रिकार्ड रखना ;

(iv) सूचीबद्ध डाक क्लियरिंग और फार्वर्डिंग श्रमिकों के रोजगार और आय के रिकार्ड का अनुरक्षण करने का प्रावधान ;

(v) अनुच्छेद 26 के उप अनुच्छेद (3) के अधीन रोटेशन द्वारा कार्य के आवंटन की शर्त पर अनुच्छेद 27 के अनुसार श्रमिकों का आवंटन ;

(vi) अनुच्छेद 25 में यथा निर्दिष्ट पूल में श्रमिकों की उपस्थिति और मजदूरी कार्डों पर आवश्यक प्रविष्टी करना ।

(ङ)(1) सूचीबद्ध नियोक्ताओं से स्कीम के तहत यथा निर्दिष्ट लेवी या कोई अन्य अंशदान का संग्रह ;

(2) भविष्य निधि, बीमा कोष या स्कीम के तहत गठित किसी अन्य कोष में श्रमिकों के अंशदान का संग्रह;

(3) श्रमिकों को नियोक्ता से देय सभी उचित श्रम को सूचीबद्ध नियोक्ता के एजेंट के रूप में प्रत्येक दैनिक श्रमिक को भुगतान और स्कीम के प्रावधानों के अनुसार बोर्ड द्वारा उन श्रमिकों को देय सभी धनराशियों का भुगतान ;

(च) बजट प्रावधान की शर्त पर आवश्यकतानुसार समय-समय पर अधिकारियों और सेवकों की नियुक्ति ;

बशर्ते कि उन पदों का सृजन करने को छोड़कर जिन वेतन की अधिकतम सीमा 1200 रुपए से अधिक है और अनुच्छेद 7 के उप अनुच्छेद (ख) और अनुच्छेद 9 के उप अनुच्छेद (1) के खंड (ङ) की शर्त पर ऐसे पदों पर व्यक्तियों की नियुक्ति;

(छ) स्कीम के प्रचालन की लागत और इसके तहत सभी रसीदों और खर्चों का उचित लेखा रखना और वार्षिक रिपोर्ट और परीक्षित तुलन पत्र तैयार करना और बोर्ड के समक्ष रखना;

(ज) वार्षिक बजट तैयार करना, उसे प्रतिवर्ष फरवरी के पन्द्रहवें दिन तक या उससे पहले बोर्ड के समक्ष रखना और उसे बोर्ड द्वारा अनुमोदित करवाना ;

(झ) सभी सूचीबद्ध डाक क्लीयरिंग एवं फार्वर्डिंग श्रमिकों के पूर्ण सेवा रिकार्डों का अनुरक्षण; और

(ट) स्कीम के प्रावधानों की शर्तों पर इसे समय-समय पर बोर्ड या अध्यक्ष या उपाध्यक्ष द्वारा सौंपे गए अन्य कार्य।

12. श्रम अधिकारी--बोर्ड, श्रम अधिकारी या श्रम अधिकारियों की नियुक्ति करेगा जो ऐसे कार्य करेंगे जैसा कि स्कीम के प्रावधानों के अनुरूप उन्हें बोर्ड अथवा जैसा भी मामला हो प्रशासनिक निकाय द्वारा सौंपे जायेंगे ।

13. कार्मिक अधिकारी के कार्य :--कार्मिक अधिकारी आमतौर पर उपाध्यक्ष को उनके कार्य में सहायता देंगे और खासतौर से वे कार्य करेंगे जो अनुच्छेद 42 के तहत उन्हें प्रदान है।

14. स्कीम के उचित कार्य के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी--

(1) केन्द्रीय सरकार अपने विवेकाधिकार से समय-समय पर बोर्ड के अध्यक्ष के परामर्श से एक या उससे अधिक अधिकारियों को नियुक्त कर सकती है और ऐसे अधिकारी या अधिकारियों को स्कीम के उचित कार्यकरण के लिए ऐसे कार्य सौंप सकती है।

(2) ऐसे अधिकारी या अधिकारीगण अध्यक्ष के आम पर्यवेक्षण और नियंत्रण में होंगे और उन्हें बोर्ड के कोष से भुगतान किया जाएगा। वह अथवा वह ऐसी अवधि और ऐसी शर्तों पर कार्यरत रहेंगे, जैसा कि केन्द्रीय सरकार तय करेगी।

15. रजिस्टर आदि का अनुरक्षण (1) नियोक्ता रजिस्टर

(क) नियोक्ताओं का एक रजिस्टर होगा।

(ख) जहां तक सूचीबद्ध डाक क्लीयरिंग एवं फार्वर्डिंग श्रमिकों पर स्कीम लागू होने का संबंध है, प्रत्येक नियोक्ता जो स्कीम लागू होने की तारीख को मद्रास पोर्ट क्लीयरिंग एण्ड फार्वर्डिंग (रोजगार का विनियमन) स्कीम के तहत पहले से रजिस्टर्ड है, उसे स्कीम के तहत सूचीबद्ध समझा जाएगा।

(ग) जिन्हें मद (ख) के तहत सूचीबद्ध समझा गया है, उनको छोड़कर अन्य व्यक्तियों को तब तक नियोक्ता के रूप में सूचीबद्ध नहीं किया जाएगा, जब तक बोर्ड ऐसा करना अपरिहार्य और आवश्यक नहीं समझता और किसी भी मामले में किसी भी व्यक्ति को तब तक सूचीबद्ध नहीं किया जाएगा जब तक वह क्लीयरिंग और फार्वर्डिंग व्यापार में लगा एक लाइसेंसशुदा एजेंट, आयातक या निर्यातक या ठेकेदार नहीं है।

(2) श्रमिक रजिस्टर (क) बोर्ड द्वारा इस प्रयोजन के लिए निर्धारित फार्म में श्रमिक रजिस्टर रखेगा ।

(ख) श्रमिकों के रजिस्टर में बोर्ड द्वारा समय-समय पर लगाए गए डाक क्लीयरिंग और फार्वर्डिंग श्रमिकों के नाम दर्शाए जायेंगे।

16. रजिस्टरों में श्रमिकों का वर्गीकरण (1) बोर्ड रजिस्टर में श्रमिकों को श्रेणीवार वर्गीकरण के लिए रखेगा ।

(2) स्कीम के तहत सूचीबद्ध डाक क्लीयरिंग और फार्वर्डिंग श्रमिकों का वर्गीकरण निम्नलिखित होगा :

1. मिस्त्री
2. मजदूर

17. रजिस्टर में श्रमिकों की संख्या तय करना :

बोर्ड, प्रशासनिक निकाय के परामर्श से और केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से यथोचित जांच के बाद किसी श्रेणी में सूची बनाने से पहले उसकी श्रेणी में श्रमिकों की आवश्यकता की संख्या नियत करेगा ।

18 मौजूदा और नए श्रमिकों को सूचीबद्ध करना: (1)(क) कोई श्रमिक जो 11-4-34 की स्थिति के अनुसार मद्रास पोर्ट क्लीयरिंग एण्ड फार्वर्डिंग एजेंटों द्वारा चलाए जा रहे पूल के अधीन पहले से रजिस्टर्ड है, उसे आयु, मेडिकल फिटनेस और चरित्र तथा पूर्व वृत्त की जांच के बाद सूचीबद्ध किए जाने के लिए उपयुक्त पाये जाने की शर्त पर इस स्कीम के तहत सूचीबद्ध समझा जाएगा । जो उपरोक्त शर्तों के तहत सूचीबद्ध करने के लिए उपयुक्त नहीं पाए जाते हैं, उन्हें स्कीम के दायरे से बाहर रखा जाएगा ।

(ख) सेवा निवृत्ति की आयु:- स्कीम के तहत किसी श्रमिक की सेवानिवृत्ति की आयु 58 वर्ष होगी ।

(ग) नए सूचीकरण के लिए अर्हता ऐसी आयु होगी, जैसा कि बोर्ड द्वारा स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए निर्दिष्ट किया जाएगा, किन्तु यह 40 वर्ष से अधिक नहीं होगा, शारीरिक रूप से फिट है, क्षमता और अनुभव रखता है। सिर्फ भारतीय नागरिक ही सूचीबद्ध होने के पात्र होंगे :

बशर्ते कि भूतपूर्व सैनिकों और अनु. जातियों/जनजातियों के मामलों में डाक लेबर बोर्ड द्वारा आयु सीमा में 45 वर्ष तक छूट दी जाएगी।

(घ) किसी नई श्रेणी के श्रमिकों को सूची में शामिल करने का काम उन श्रमिकों में से किया जाएगा जो पोर्ट में बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट किसी तारीख को कार्यरत है या थे और उस श्रेणी में किसी श्रमिक द्वारा सेवा अवधि द्वारा नियत वरीयता तथा बोर्ड द्वारा अधिसूचना के आधार पर सूची में शामिल करने के लिए चयन किया जाएगा उस मामले में जहां उक्त वरीयता सूची उपलब्ध नहीं है, वहां बोर्ड द्वारा नियत आधार पर चयन किया जाएगा बशर्ते कि श्रमिक मैडिकली फिट है और 53 वर्ष से अधिक आयु का नहीं है।

(2) श्रेणियों को सूची में शामिल करने के सम्बन्ध में निम्नलिखित सिद्धांत लागू होंगे जो स्कीम के लागू होने की तारीख के बाद अनुसूची 1 में समाहित होंगे :

(क) किसी श्रमिक के किसी एक श्रेणी में सूचीबद्ध होने से पहले बोर्ड उस श्रेणी में पत्तन में उस समय कार्यरत सभी वैध श्रमिकों में से अनुच्छेद 17 के तहत उस श्रेणी में श्रमिकों की अपेक्षित संख्या का अनुमान लगाने की दृष्टि से पर्याप्त जांच करेगा।

(ख) प्रत्याशित आवश्यकता के आधार पर एक अनन्तिम सूची बनाई जाएगी और सिर्फ इस कारण से कि कोई श्रमिक पतन से पहले कार्यरत था, उसे सूची में स्वत: शामिल किए जाने का पात्र नहीं बनता ।

(ग) अनंतिम सूची बनाने का काम पूरा होने के बाद उस समय उसके मजदूरी जो स्कीम के तहत सूचीबद्ध डाक क्लीयरिंग एवं फार्वर्डिंग श्रमिकों को देय होगी, उसके अलावा कोई अन्य लाभ दिए बगैर रोटेशन में बुकिंग शुरू की जाएगी ।

(घ) अनंतिम रूप से सूचीबद्ध श्रमिकों द्वारा प्राप्त वास्तविक रोजगार के आलोक में 6 महीने के बाद आवश्यकता का फिर से मूल्यांकन किया जाएगा और तब तदनुसार ही अनंतिम सूची को समायोजित किया जाएगा । अनुच्छेद 29 के तहत उस समय से सिर्फ उपस्थित भत्ता ही दिया जाना शुरू होगा ।

(ङ) रोटेशन बुकिंग शुरू होने के एक वर्ष बाद इन शर्तों के तहत कार्य भी इस दृष्टि से जांच की जाएगी कि दिनों की संख्या नियत की जाए जिसके लिए अनुच्छेद 28 के तहत गारंटीशुदा न्यूनतम मजदूरी का भुगतान किया जाना चाहिए । उसके बाद से श्रमिक, स्कीम के तहत सभी लाभों के हकदार होंगे ।

(च) पहले रजिस्टर्ड श्रमिकों की श्रेणियों के लिए अनुच्छेद 28 के तहत एक माह जिसके लिए मजदूरी की गारंटी है, उसके लिए स्कीम के लागू होने की तारीख के बाद सूची में शामिल किए जाने वाली श्रेणियों के श्रमिकों द्वारा न्यूनतम दिनों की मजदूरी का स्वत: दावा नहीं किया जाएगा । ऐसे न्यूनतम दिनों की संख्या भिन्न-भिन्न होगी जैसा कि उपरोक्त मद (ङ) में नियत किया जाएगा ।

(छ) स्कीम के लागू होने की तारीख के बाद सूची में शामिल की गई श्रेणियों के श्रमिकों की मजदूरी वह होगी, जो बोर्ड द्वारा समय-समय पर नियत की जाएगी ।

(3) समय-समय पर बोर्ड ऐसी अवधियों और ऐसी सेवा शर्तों पर श्रमिकों को अस्थायी रूप से सूची में शामिल करने की अनुमति देगा, जैसा कि बोर्ड निर्दिष्ट करे :

बशर्ते कि अस्थायी रूप से सूची में शामिल किए गए श्रमिक अनुच्छेद 29 के तहत उपस्थिति भत्ते के हकदार होंगे और उनका वही दायित्व होगा जो पूल में क्लीयरिंग और फार्वर्डिंग श्रमिकों का होगा ।

(4) उन श्रेणियों में जिनमें स्कीम के तहत डाक क्लीयरिंग और फार्वर्डिंग श्रमिक सूचीबद्ध हैं, उनमें अस्थायी या स्थाई आधार पर किसी प्रकार की नई नियुक्ति स्थानीय रोजगार कार्यालय में सूचीबद्ध श्रमिकों में से की जाएगी । तथापि, यदि मांगपत्र देने की तारीख को रोजगार कार्यालय के रजिस्टर पर उपलब्ध उपयुक्त संख्या में श्रमिकों की अपेक्षा आवश्यकता अधिक है, तो रोजगार कार्यालय के रजिस्टर वाले व्यक्तियों को लेने के बाद सीधी भर्ती की जा सकती है ।

(5) उप अनुच्छेद (1) की मद (ग) के तहत सूचीबद्ध नए श्रमिकों को सूची में स्थायी आधार पर लेने से पहले 6 महीने की अवधि के लिये परिवीक्षा पर रखा जायेगा ।

(6) स्कीम के किन्हीं अन्य प्रावधानों के होते हुए भी जहां बोर्ड की यह राय है कि किसी क्लीयरिंग और फार्वर्डिंग श्रमिक ने अपने आवेदन में गलत सूचना देकर अपना नाम सूचीबद्ध करा लिया है या उसमें अपेक्षित सूचना छिपा ली है, या जहां यह पता चलता है कि श्रमिक को अनुचित या गलत तरीके से सूचीबद्ध कर लिया गया है तो बोर्ड अपनी बैठक में उसका नाम रजिस्टरों से हटाने का निर्देश दे सकता है :

बशर्ते कि इस प्रकार का कोई निर्देश देने से पहले बोर्ड उसे यह कारण बताने का एक अवसर देगा कि क्यों न प्रस्तावित निर्देश जारी किया जाए ।

19. डाक्टरी जांच :— (1) नए श्रमिक सूचीबद्ध होने से पहले इस प्रयोजन के लिए अध्यक्ष द्वारा नामित मेडिकल आफिसर द्वारा निःशुल्क शारीरिक मानक की डाक्टरी जांच कराएगा । श्रमिक जिसे मेडिकल आफिसर द्वारा उपयुक्त नहीं पाया गया, वह अध्यक्ष को लिखित रूप में मेडिकल बोर्ड द्वारा जांच करने के लिए आवेदन कर सकता है । ऐसा अनुरोध प्राप्त होने पर अध्यक्ष एक मेडिकल बोर्ड गठित करेगा । मेडिकल बोर्ड का निर्णय अन्तिम होगा और जो श्रमिक मेडिकल फिट नहीं है वह सूचीबद्ध होने का हकदार नहीं होगा ।

(2) यदि प्रशासनिक निकाय यह आवश्यक समझता है कि वह अध्यक्ष द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा निःशुल्क डाक्टरी जांच करा सकता है । मेडिकल बोर्ड का निर्णय अन्तिम होगा । यदि श्रमिक को मेडिकल बोर्ड स्थाई रूप से अयोग्य समझता है, तो अध्यक्ष तत्काल उसकी सेवाएं समाप्त कर देगा ।

20. सूचीकरण शुल्क :—स्कीम के तहत सूचीबद्ध होने के समय प्रत्येक श्रमिक, बोर्ड को सूचीकरण शुल्क के रुपये में दस रुपये का भुगतान करेगा । प्रत्येक नियोक्ता स्कीम के तहत सूचीबद्ध होने के समय सूचीकरण शुल्क के रूप में पांच सौ रुपये का भुगतान करेगा ।

21. कार्डों की सप्लाई :—(1) प्रत्येक सूचीबद्ध क्लीयरिंग और फार्वर्डिंग श्रमिक को बोर्ड द्वारा निर्धारित निम्नलिखित फार्म निःशुल्क सप्लाई किए जाएंगे अर्थात् (i) पहचान पत्र/फोटो पास (ii) मजदूरी कार्ड ।

(2) यदि कार्ड गुम हो जाता है तो नया कार्ड जारी किया जाएगा और उसकी बोर्ड द्वारा तय लागत संबंधित श्रमिक द्वारा अदा करनी होगी । कार्ड खोने के ऐसे सभी क्षति के मामलों में श्रमिक को कार्ड खोने की सूचना पुलिस तथा प्रशासनिक निकाय को तत्काल अनिवार्य रूप से देनी होगी ।

22. सूचीबद्ध डाक क्लीयरिंग और फार्वर्डिंग श्रमिकों के लिए सेवा रिकार्ड —

प्रशासनिक निकाय द्वारा प्रत्येक दैनिक श्रमिक का सेवा रिकार्ड बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट फार्म में रखा जाएगा जिसमें अन्य बातों के साथ साथ श्रमिक के विरुद्ध की गई अनुशासनिक कार्रवाई, पदोन्नति, अच्छे कार्य के लिए सराहना आदि का पूरा रिकार्ड होगा ।

23. सूचीबद्ध नियोक्ताओं के लिए रिकार्ड शीट :—कार्मिक अधिकारी, प्रत्येक नियोक्ता का बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट फार्म में एक "रेकार्ड शीट" रखेगा जिसमें अन्य बातों के साथ साथ सूचीबद्ध नियोक्ता के विरुद्ध की गई अनुशासनिक कार्रवाइयों का पूरा रेकार्ड होगा ।

24. कार्डों का समर्पण :—निम्नलिखित परिस्थितियों में प्रशासनिक निकाय को श्रमिक कार्ड समर्पित करना होगा अर्थात् :—

(क) जब वे बाहर जा रहे हैं या प्रशिक्षण के लिए अवकाश पर जा रहे हैं;

(ख) जब सेवा निवृत्त हो रहे हैं;

(ग) जब सेवा से बर्खास्त या मुक्त किए गए हैं;

(घ) जब अस्थाई रूप से निलंबित हैं या,

(ङ) मृत्यु होने पर ।

25. मजदूरी कार्ड में इंद्राज :—(1) पूल का कार्ड क्लीयरिंग और फार्वर्डिंग श्रमिक किसी सूचीबद्ध नियोक्ता को कार्य के लिए आवंटित किए जाने के समय प्रशासनिक निकाय को अपना मजदूरी कार्ड सुपुर्द करेगा जब तक कि कोई भी कार्ड पहले उक्त निकाय को जमा नहीं किया गया है और श्रमिक को वापस नहीं किया गया है । प्रशासनिक निकाय, श्रमिक द्वारा किए गए कार्य की अवधि के सम्बन्ध में आवश्यक इंद्राज करने की व्यवस्था करेगा और इंद्राज के बाद इसे वापस कर देगा ।

(2) एक क्लीयरिंग और फार्वर्डिंग श्रमिक जो मासिक श्रमिक के रूप में कार्यरत हो अपना वेतन कार्ड अपने नियोक्ता को काम का आवंटन किए जाते समय सौंप देगा, जब तक कि कोई भी कार्ड नियोक्ता के पास पहले से जमा न कराया गया हो और श्रमिक को न लौटाया गया हो । उक्त नियोक्ता कार्ड में श्रमिक द्वारा किए गए कार्य की अवधि के बारे में प्रविष्ट करेगा और उसके तुरन्त बाद उसे लौटा देगा ।

26. शिफ्टों में रोजगार :—(1) श्रमिक को शिफ्टों में रोजगार दिया जाएगा ।

(2) (क) कोई भी श्रमिक साधारणतया न तो दो लगातार शिफ्टों में लगाया जाएगा और न ही किसी श्रमिक को बाद वाले दिनों में दो लगातार शिफ्टों में ही लगाया जाएगा। किसी भी मामले में किसी श्रमिक को तीन लगातार शिफ्टों में नहीं लगाया जाएगा।

(ख) पूल में किसी श्रमिक को एक सप्ताह में 9 शिफ्टों से अधिक या एक महीने 3 से अधिक शिफ्टों में नहीं लगाया जाएगा।

(ग) विशेष परिस्थितियों में अध्यक्ष आवश्यकतानुसार मद (ख) के तहत प्रतिबन्ध को अस्थाई तौर पर हटा सकता है।

(घ) एक दिन में एक से अधिक शिफ्ट में काम करने वाला श्रमिक प्रत्येक शिफ्ट में सामान्य दर पर मजदूरी पाने का हकदार होगा।

(3) सूचीबद्ध डाक क्लीयरिंग और फार्वर्डिंग श्रमिक रजिस्टर पर प्रत्येक श्रेणी के श्रमिकों को रोटेशन द्वारा काम आवंटित किया जाएगा।

27 आकस्मिक रिक्तियों को भरना

मजदूर श्रेणियों में पंजीकृत सूचीबद्ध डाक क्लियरिंग और फार्वर्डिंग श्रमिकों की आकस्मिक नियुक्तियां निम्नलिखित रूप में की जाएंगी :—

जब तक मिस्त्री अनुपस्थित है तो शिफ्ट में वरिष्ठतम मिस्त्री के रूप में कार्य करेगा। रिजल्टेंट वेकेन्सी रोटेशनल बुकिंग द्वारा सीध रिजर्व श्रमिकों द्वारा भरी जायेगी।

28. एक माह में गारंटीशुदा न्यूनतम वेतन :—(1) पूल में किसी श्रमिक को एक माह में वेतन दर पर कम से कम 12 दिन का वेतन दिया जायेगा, जिसमें महंगाई भत्ता भी शामिल है जो उसे श्रेणी के उपयुक्त बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट किया जायेगा जिस श्रेणी में वह स्थायी है, यद्यपि एक महीने में न्यूनतम 12 दिन भी उसके लिये कार्य नहीं मिला। वे दिन जब श्रमिकों को कार्य आवंटित किया जाता है, उनकी गणना उपरोक्त वर्णित 12 दिनों में की जायेगी। एक महीने में गारंटीशुदा न्यूनतम वेतन होगा :

(क) जितने दिनों के लिये एक महीने में वेतन की इस शर्त पर गारंटी दी जाती है कि श्रमिक प्रशासनिक निकाय द्वारा यथा निर्देशित माह के सभी दिन कार्य के लिये उपस्थित हुआ,

(ख) उतने दिनों जितने दिनों के लिये कार्य पर उपस्थित हुआ, उसके समानुपातिक रूप से भुगतान किया जायेगा बशर्ते कि उसे महीने के शेष सभी दिनों की हाजिरी से छूट दी गई थी।

(2) उप अनुच्छेद (1) के प्रावधानों की शर्तों पर एक माह में न्यूनतम दिन जिसके लिए मजदूरी की गारंटी होती है, वह बोर्ड द्वारा प्रति वर्ष के लिए श्रमिकों द्वारा डाक क्लीयरिंग और फारवर्डिंग श्रमिकों की सबसे निचली श्रेणी के पूल में श्रमिकों द्वारा पिछले वर्षों में प्राप्त मासिक औसत रोजगार के आधार पर तय की जाएगी, जब तक न्यूनतम दिनों की संख्या 21 दिन हो जाती है।

बशर्ते कि इस प्रकार नियत की गई संख्या किसी भी तरह पिछले वर्ष की संख्या से कम नहीं होगी।

टिप्पणी :—औसत रोजगार का आकलन करने की प्रक्रिया का ब्यौरा अनुसूची 11 में दिया गया है।

(3) उपरोक्त उप-अनुच्छेद (1) और (2) के तहत गारंटीशुदा न्यूनतम दिनों की मजदूरी नई श्रेणियों के उन श्रमिकों पर स्वतः लागू नहीं होगी जो स्कीम के लागू होने की तारीख के बाद सूचीबद्ध होंगे। इन श्रेणियों की न्यूनतम जितने दिनों की मजदूरी की गारंटी होगी, वह अनुच्छेद 18 के उप अनुच्छेद (2) के मद (ख) के तहत तय होगी। उप-अनुच्छेद (2) के तहत न्यूनतम दिनों की संख्या का वार्षिक पुर्ननियतन उनके मामले में भी स्वतन्त्र रूप से किया जाएगा।

स्पष्टीकरण :— I. इस अनुच्छेद के उप-अनुच्छेद (1) (2) और (3) में "एक दिन" का अर्थ है — एक "शिफ्ट" :

स्पष्टीकरण- - II : इस अनुच्छेद के प्रयोजन के लिए "माह" शब्द में साप्ताहिक अवकाश के दिन शामिल नहीं होंगे बशर्ते कि साप्ताहिक अवकाश के दिन का भुगतान नहीं किया जाता है।

29. उपस्थिति भत्ता :—स्कीम के अन्य प्रावधानों की अन्य शर्तों पर डाक क्लीयरिंग और फारवर्डिंग श्रमिकों के रजिस्टर का कोई श्रमिक जो कार्य के लिए उपलब्ध है किन्तु जिसके लिए कोई काम नहीं है, उसे कलैंडर माह के दौरान दिवसों के लिए उपस्थिति भत्ता दिया जाएगा। जिसमें वह प्रशासनिक निकाय के निर्देशानुसार कार्य के लिए उपस्थित हुआ है और उसके लिए कोई काम नहीं था।

पुनः बशर्ते कि किसी दिन जिसके लिए महंगाई भत्ता सहित पूरी मजदूरी अनुच्छेद 26 के तहत अदा की गई है, या अनुच्छेद 31 के तहत डिसअप्वाइंटमेंट मनी दी गई है, कोई उपस्थित भत्ता नहीं देय होगा।

30. एक शिफ्ट के लिए रोजगार:—पूल में किसी श्रमिक को एक शिफ्ट से कम अवधि के लिए नहीं लगाया जाएगा और जहां कार्य के लिए किसी श्रमिक को लगाया गया है उसने शिफ्ट की कार्य अवधि को पूरा किया है, वह शेष अवधि के लिए उसी नियोक्ता द्वारा यथा अपेक्षित ऐसे अन्य काम को करेगा।

31. डिसअप्वाईंटमेंट मनी :—जब किसी पूल का कोई श्रमिक कार्य के लिए उपस्थित होता है और किसी कारण वश जिस कार्य के लिए वह उपस्थित हुआ है, वह शुरू नहीं हो सकता या आगे चल सकता और नियोक्ता द्वारा उसके लिए कोई दूसरा वैकल्पिक कार्य नहीं दिया जाता, तो वह उक्त नियोक्ता द्वारा लौटा दिया जाएगा और प्रशासनिक निकाय द्वारा यथा निर्देशित कार्य पर आने के दो घंटे के भीतर पोर्ट में किसी स्थान पर वापस भेज दिया जाएगा। इस प्रकार लौटाया गया श्रमिक पूरी शिफ्ट के दौरान प्रशासनिक निकाय के निर्देशानुसार नियत स्थान पर प्रतीक्षा करेगा और प्रशासनिक निकाय द्वारा उसी शिफ्ट में दिया गया कार्य करेगा। यदि कोई कार्य नहीं दिया जाता है, तो वह महंगाई भत्ता और अन्य भत्तों सहित एक पूर्णकालिक वेतन के आधार पर डिसएप्वाइंटमेंट मनी का हकदार होगा जहां कार्य दिया जाता है, वहां वह किए गए कार्य के लिए पीस रेट का हकदार होगा और शिफ्ट की शेष अवधि के लिए शिफ्ट के समानुपातिक मूल वेतन और भत्तों का हकदार होगा।

32. अवकाश :—प्रत्येक श्रमिक एक वर्ष में बोर्ड द्वारा अनुच्छेद 39 के तहत निर्दिष्ट ऐसी दर पर वेतन के साथ 8 अवकाश का हकदार होगा जिसमें ऐसे सभी दिन शामिल हैं जो एक वर्ष में 6 से अधिक नहीं होंगे जैसा कि बोर्ड द्वारा बंद अवकाश घोषित किया जाता है। इस अनुच्छेद के तहत किए गए किसी प्रकार के भुगतान में अनुच्छेद 28 के तहत गणित भुगतान शामिल नहीं होगा।

33. समितियां : (1) बोर्ड एक या उससे अधिक समितियां नियुक्त कर सकती है जिसे वह ऐसे कार्य सौंपेगा जो स्कीम के प्रावधानों के अनुपालन में मदद करने के लिए आवश्यक समझे और यदि आवश्यक समझे तो उसे समाप्त या पुनर्गठित कर सकती है।

(2) वे व्यक्ति जो बोर्ड के सदस्य नहीं है यदि आवश्यक हुआ तो उन्हें समिति के सहयोजित सदस्य के रूप में मनोनीत किया जा सकता है, तथापि, ऐसे सहयोजित सदस्य को मत देने का अधिकार नहीं होगा।

34. सूचीबद्ध डाक क्लीयरिंग और फार्वर्डिंग श्रमिकों का दायित्व :

(1) सभी सूचीबद्ध डाक क्लीयरिंग और फार्वर्डिंग श्रमिकों द्वारा स्कीम के दायित्वों को स्वीकार किया हुआ समझा जाएगा।

(2) कोई सूचीबद्ध डाक क्लीयरिंग और फार्वर्डिंग श्रमिक जो कार्य के लिए उपलब्ध है, उसे बोर्ड के रोजगार में समझा जाएगा।

(3) कोई भी सूचीबद्ध डाक क्लीयरिंग और फार्वर्डिंग श्रमिक जो कार्य के लिए उपलब्ध है, वह स्वयं को तब तक किसी सूचीबद्ध नियोक्ता के पास नहीं लगाएगा, जब तक प्रशासनिक निकाय ने उस नियोक्ता को आवंटित नहीं किया हो।

(4) कोई भी डाक क्लीयरिंग और फार्वर्डिंग श्रमिक जो कार्य के लिए उपलब्ध है, वह प्रशासनिक निकाय के निर्देशों का पालन करेगा, और--

(क) ऐसे काल प्वाइंटों और ऐसे समय पर रिपोर्ट करेगा जैसा कि प्रशासनिक निकाय निर्दिष्ट करेगा और ऐसे काल प्वाइंटों पर--

(i) यदि प्रशासनिक निकाय द्वारा ऐसा करने के लिए कहा गया है तो वह बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रतिधारण भत्ते पर पूरी शिफ्ट के दौरान रहेगा; या

(ii) निर्दिष्ट ऐसी अवधि के लिए जो एक घंटा से अधिक न हो, और

(ख) क्लीयरिंग और फार्वर्डिंग कार्य के संबंध में रोजगार को स्वीकार करेगा चाहे वह जिस श्रेणी में रजिस्टर्ड है या किसी अन्य श्रेणी में जिसके लिए वह प्रशासनिक निकाय द्वारा उपयुक्त समझा जाता है।

(5) सूचीबद्ध डाक क्लीयरिंग और फार्वर्डिंग श्रमिक जो प्रशासनिक निकाय द्वारा किसी सूचीबद्ध नियोक्ता के अधीन रोजगार पाने के लिए आवंटित किए जाने के लिए उपलब्ध है, ऐसे सूचीबद्ध नियोक्ता या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि या पर्यवेक्षक तथा कार्य करने वाले पत्तन के निर्देशों के अनुसार अपना कार्य करेगा।

(6) सूचीबद्ध डाक क्लीयरिंग और फार्वर्डिंग श्रमिक स्कीम के चालू होने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि के लिए ऐसी कोई मांगें नहीं करेगा जिनमें अतिरिक्त वित्तीय विविक्षाएं निहित हों। वह स्कीम के चालू होने से पहले प्रचलित गैंगिंग स्केल और गैंग डिप्लायमेंट के बारे में सर्वांगीपन की प्रक्रिया को मानेगा।

35. सूचीबद्ध नियोक्ता का दायित्व---(1) प्रत्येक सूचीबद्ध नियोक्ता स्कीम के दायित्वों को स्वीकार करेगा।

(2) सूचीबद्ध नियोक्ता डाक क्लीयरिंग और फार्वर्डिंग श्रमिक जो अनुच्छेद 11 के उप अनुच्छेद (घ) के प्रावधानों के अनुसार प्रशासनिक निकाय द्वारा आवंटित है, के अलावा किसी दूसरे श्रमिक को नहीं लगाएगा।

(3) सूचीबद्ध नियोक्ता, प्रशासनिक निकाय द्वारा की गई व्यवस्था के अनुसार अपने वर्तमान और भविष्य में श्रमिक आवश्यकता के बारे में सूचना पेश करेगा।

(4) सूचीबद्ध नियोक्ता को जब तक अन्यथा निर्देश न हो, तब तक वह प्रशासनिक निकाय के समस्त श्रमिकों द्वारा पीस रेट पर हैंडल किए गए टनेज का ब्यौरा तथा उसके द्वारा लगाए गए सूचीबद्ध डाक क्लीयरिंग और फार्वर्डिंग श्रमिकों के संबंध में अन्य सांख्यिकी आंकड़े पेश करेगा।

(5) (1) सूचीबद्ध नियोक्ता अनुच्छेद 51 के उप अनुच्छेद (1) के तहत प्रशासनिक निकाय को देय लेवी तथा दैनिक श्रमिकों को देय सकल वेतन उस रीति से और ऐसे समय भुगतान करेगा, जैसा बोर्ड निर्देश दे।

(6) सूचीबद्ध नियोक्ता, बोर्ड की अपेक्षानुसार रिकार्ड रखेगा और बोर्ड या बोर्ड द्वारा पदनामित व्यक्तियों के समस्त नोटिस दिए जाने पर ऐसे सभी रिकार्ड और अन्य कोई कागजात जो डाक क्लीयरिंग और फार्वर्डिंग श्रमिकों से संबंधित है, पेश करेगा और उनको जिस काम पर लगाया गया है उससे संबंधित सूचना देगा जैसा कि बोर्ड द्वारा इस बारे में किसी नोटिस या निर्देश में निर्दिष्ट किया गया हो।

(7) सूचीबद्ध नियोक्ता, किसी डाक क्लीयरिंग और फार्वर्डिंग श्रमिक को देय सामान्य और वास्तविक मजदूरी से अधिक का नकद या अन्यथा भुगतान नहीं करेगा।

36. सूचीबद्ध डाक क्लीयरिंग और फार्वर्डिंग श्रमिकों की सप्लाई बंद करना :

यदि कोई सूचीबद्ध नियोक्ता उनकी ओर अनुच्छेद 51 के उप अनुच्छेद (1) के तहत देय भुगतान नहीं कर पाता है या प्रशासनिक निकाय द्वारा निर्दिष्ट ऐसे समय में बोर्ड को किसी राशि का भुगतान नहीं करता है, तो प्रशासनिक निकाय, नियोक्ता को इस आशय का नोटिस जारी करेगा कि अब तक वह नोटिस प्राप्त होने की तारीख से तीन दिन के अंदर बकाया राशि का भुगतान नहीं करता है तो उन्हें श्रमिकों की सप्लाई बंद कर दी जाएगी। नोटिस की अवधि के समाप्त होने पर प्रशासनिक निकाय, उस दोषी नियोक्ता को सूचीबद्ध डाक क्लीयरिंग और फार्वर्डिंग श्रमिकों की सप्लाई तब तक बंद रखेगा जब तक वह बकाया राशि का भुगतान नहीं कर देता।

37. रोजगार का प्रतिबंध.--(1) किसी सूचीबद्ध नियोक्ता के अलावा कोई दूसरा व्यक्ति किसी भी श्रमिक को काम पर नहीं लगाएगा और न ही कोई सूचीबद्ध नियोक्ता, डाक क्लीयरिंग और फार्वर्डिंग कार्य पर डाक क्लीयरिंग और फार्वर्डिंग श्रमिक को नहीं लगाएगा जब तक कि वह श्रमिक डाक क्लीयरिंग और फार्वर्डिंग श्रमिक न हो।

(2) इस अनुच्छेद के उपरोक्त उपबंधों के होते हुए भी---

(क) जहां प्रशासनिक निकाय इस बात से संतुष्ट है कि--

(i) डाक क्लीयरिंग और फार्वर्डिंग कार्य तत्काल ही किया जाना है और

(ii) यदि इस कार्य के लिए डाक क्लीयरिंग और फार्वर्डिंग श्रमिक को प्राप्त करना व्यावहारिक नहीं है, तो प्रशासनिक निकाय बोर्ड द्वारा लगाए गए किसी प्रतिबंध की शर्त पर किसी सूचीबद्ध नियोक्ता को वह व्यक्ति आवंटित करेगा जो सूचीबद्ध डाक क्लीयरिंग और फार्वर्डिंग श्रमिक नहीं है।

ऐसे श्रमिकों को चुनने में यथा संभव स्थानीय रोजगार संगठन से परामर्श किया जाए :

बशर्ते कि जब कभी असूचीबद्ध श्रमिकों को लगाना पड़े तो प्रशासनिक निकाय, यदि संभव हो तो अध्यक्ष से ऐसे श्रमिकों को लगाने का अनुमोदन प्राप्त करेगा और जहां यह संभव नहीं है, वहां 24 घंटे के भीतर अध्यक्ष को पूरी परिस्थिति की रिपोर्ट देगा जिसके तहत ऐसे श्रमिकों को लगाया गया था और अध्यक्ष ऐसे नियोजन के बारे में बोर्ड की अगली बैठक में विधिवत सूचना देगा।

(ख) मद (क) में उल्लिखित मामले में किसी सूचीबद्ध नियोक्ता द्वारा उपरोक्त रीति से नियोजित व्यक्ति को अनुच्छेद 35 के उप अनुच्छेद (4),(5) और (6) तथा अनुच्छेद 39 के प्रयोजन के लिए उस डाक क्लीयरिंग और फार्वर्डिंग कार्य के संबंध में दैनिक श्रमिक समझा जाएगा।

(3) कोई सूचीबद्ध क्लीयरिंग और फार्वर्डिंग श्रमिक यदि वह अनुच्छेद 31 के तहत दायित्वों को पूरा करता है, तो प्रशासनिक निकाय द्वारा जिस दिन उसे कार्य आवंटित नहीं किया जाता है, उस दिन स्कीम में सूचीबद्ध नियोक्ताओं को छोड़कर दूसरे नियोक्ताओं के पास यदाकदा कार्य कर सकता है।

38. जिस परिस्थिति में स्कीम लागू नहीं होगी.--- (1) यह स्कीम किसी सूचीबद्ध डाक क्लीयरिंग और फार्वर्डिंग श्रमिक पर तब लागू नहीं होगी, जब स्कीम के प्रावधानों के अनुसार उसका नाम रजिस्टर या रिकार्ड से हटा दिया गया है।

(2) यह स्कीम किसी सूचीबद्ध नियोक्ता पर तब लागू नहीं होगी, जब स्कीम के प्रावधानों के अनुसार उसका नाम नियोक्ता रजिस्टर से हटा दिया गया है।

(3) इस अनुच्छेद में ऐसे किसी भी समय में निर्वाह किए गए दायित्व या संचित अधिकार पर असर नहीं पड़ेगा, जब वह व्यक्ति डाक क्लीयरिंग और फार्वर्डिंग श्रमिक या सूचीबद्ध नियोक्ता के रूप में सूचीबद्ध किया गया था।

39. अनुसूची 1 के तहत श्रेणियों में श्रमिकों की मजदूरी, भत्ते और अन्य सेवा शर्तें :

(1) जब तक स्कीम में विशिष्ट रूप से अन्यथा प्रावधान न हो, सूचीबद्ध नियोक्ताओं और सूचीबद्ध डाक क्लीयरिंग और फार्वर्डिंग श्रमिकों के बीच किन्हीं करार के प्रावधानों पर असर डाले बगैर इसे सूचीबद्ध डाक क्लीयरिंग और फार्वर्डिंग श्रमिक तथा सूचीबद्ध नियोक्ता के बीच करार की लागू शर्त मानी जाएगी कि—

(क) उनके संबंध में मजदूरी, भत्ते और ओवरटाइम कार्य घंटे विश्राम अवधि अवकाश और वेतन की दर तथा सेवा शर्तें बोर्ड द्वारा श्रमिकों की प्रत्येक श्रेणियों के लिए समय-समय पर निर्दिष्ट किए जाने के अनुसार होंगी ;

(ख) मजदूरी अवधि, मजदूरी के भुगतान के लिए समय और मजदूरी से कटौतियों का निर्धारण मजदूरी भुगतान अधिनियम, 1936 (1936 का 4) के प्रावधानों के अनुसार होगा।

(2) एक सूचीबद्ध डाक क्लीयरिंग और फार्वर्डिंग श्रमिक स्कीम शुरू होने की तारीख से 5 वर्षों की अवधि के लिए किसी भी ऐसे लाभ का हकदार नहीं होगा जिसमें अतिरिक्त वित्तीय विवक्षाएं निहित हों।

40. बेरोजगारी और कम रोजगार के संबंध में वेतन :—

(1) इसमें और बाद वाले अनुच्छेद में निर्दिष्ट शर्तों पर जब किसी मजदूरी अवधि में पूल में कोई सूचीबद्ध डाक क्लीयरिंग और फार्वर्डिंग श्रमिक कार्य के लिए उपलब्ध है किन्तु उसे रोजगार या पूरा रोजगार नहीं दिया जाता है, तो वह बोर्ड से अनुच्छेद 28,29 और 31 के तहत वह अनुमेय राशि प्राप्त करने का हकदार होगा।

(2) जिस शर्त पर कोई सूचीबद्ध डाक क्लीयरिंग श्रमिक बोर्ड से उक्त भुगतान (यदि कोई है) प्राप्त करने का हकदार है,

(क) वह निर्दिष्ट काल प्वाइंट पर उपस्थित हुआ; और

(ख) उसकी उपस्थिति दर्ज की गई।

41. भुगतान की अनर्हता :—(1) सूचीबद्ध डाक क्लीयरिंग और फार्वर्डिंग श्रमिक जो बगैर पर्याप्त कारण के अनुच्छेद 34 के उप अनुच्छेद (4) के मद (क) और (ख) के प्रावधानों का पालन नहीं करता या जो बोर्ड द्वारा दिए गए किसी कानून सम्मत आदेश का पालन नहीं करता, उस पर उप-अनुच्छेद (3) के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

(2) एक सूचीगत डाक क्लीयरिंग एवं फोरवर्डिंग श्रमिक जो रोजगार के दौरान जिसमें प्रशासनिक निकाय द्वारा उसे विनियोजित किया गया है बिना किसी पर्याप्त कारण के क्लॉज 34 के सब क्लाज (5) के उपबन्धों का अनुपालन करने में असफल रहता है या उसके नियोक्ता द्वारा उसे दिए गए किसी कानूनी आदेश का अनुपालन करने में असफल रहता है, उसका विनियोजन समाप्त किया जा सकता है और पूल में वापस भेजा जा सकता है और वह इस तरह वापस गया हो अथवा नहीं, श्रम अधिकारी को लिखित रिपोर्ट देगा। जब एक सूचीगत डाक क्लीयरिंग एवं फोरवर्डिंग मजदूर पूल में इस प्रकार वापस जाता है, प्रशासनिक निकाय तदनुसार उसका उपस्थिति एवं वेतन कार्ड एंडोर्स करेगा।

(3) श्रम अधिकारी सब क्लाज (1) या सब क्लाज (2) के अंतर्गत होने वाले किसी भी मामले पर विचार करेगा और यदि मामले की जांच करने के बाद वह सूचीगत डॉक क्लीयरिंग एवं फोरवर्डिंग श्रमिक को अधिसूचित करता है कि वह इस बात से संतुष्ट है कि डाक क्लीयरिंग एवं फोरवर्डिंग श्रमिक उक्त विधिसम्मत आदेश का अनुपालन करने में असफल रहा है तो सूचीगत डॉक क्लीयरिंग एवं फोरवर्डिंग श्रमिक किसी भुगतान या क्लॉज 40 के अंतर्गत किसी भुगतान के ऐसे भाग का जिसे श्रम अधिकारी, उस वेतन अवधि जिसमें ऐसी असफलता रही है या बनी रही के संबंध में उपयुक्त समझे हकदार नहीं रहेगा।

बशर्ते कि सूचीगत डॉक क्लीयरिंग एवं फोरवर्डिंग श्रमिक को, श्रम अधिकारी द्वारा इस सब क्लाज के अंतर्गत कोई निर्णय लिये जाने से पहले कारण बताने का अवसर दिया जाएगा।

42. अनुशासनिक प्रक्रिया :—(1) कार्मिक अधिकारी शिकायत पर या अन्यथा सूचना मिलने पर कि कोई सूचीगत नियोक्ता स्कीम के उपबन्धों को पूरा करने में असफल रहा है, मामले की जांच करने के बाद—

(i) उसे लिखित रूप में चेतावनी देगा या

(ii) यदि उसके विचार में, कोई उच्च दण्ड उपयुक्त है मामले की रिपोर्ट उपाध्यक्ष को देगा।

(2) उपाध्यक्ष तब उचित समझी जाने वाली ऐसी भावी जांच करेगा और उस नियोक्ता के संबंध में निम्नलिखित कोई कदम उठाएगा अर्थात वह—

(क) नियोक्ता की निंदा करेगा और उसकी रिकार्ड सीट में निंदा रिकार्ड करेगा; या

(ख) बोर्ड के अनुमोदन के आधार पर और नियोक्ता को एक महीने की लिखित नोटिस के बाद निदेश दे सकेगा कि नियोक्ता का नाम उस अवधि तक के लिये जो बोर्ड नियत करे या यदि बोर्ड ऐसा समझे तो हमेशा के लिये नियोक्ता सूची से हटा दिया जाएगा।

(3)(i) पूल का कोई सूचीगत डॉक क्लीयरिंग एवं फोरवर्डिंग श्रमिक जो स्कीम के उपबंधों को पूरा करने में असफल रहता है, या कोई अनुशासनहीनता का कार्य अथवा कदाचार करता है, उसके विरुद्ध श्रम अधिकारी को लिखित रिपोर्ट देगा।

(ii) श्रम अधिकारी, उस मामले की जांच करने के बाद उस श्रमिक के संबंध में निम्नलिखित कोई कार्रवाई करेगा अर्थात् वह—

(क) नियत करेगा कि ऐसी अवधि जो वह उचित समझे वह मजदूर क्लॉज 40 के अंतर्गत किसी भुगतान या आंशिक भुगतान का हकदार नहीं होगा।

(ख) उसे लिखित चेतावनी देगा, या

(ग) अधिक से अधिक 10 दिन की अवधि के लिए उसे बिना वेतन निलंबित करेगा।

(iii) क्लॉज (i) के अंतर्गत श्रम अधिकारी को रिपोर्ट किए गए मामले में यदि उसका यह विचार है कि अनुशासनहीनता या कदाचार का किया गया कार्य इतना गंभीर है कि श्रमिक को और कार्य करने की अनुमति न दी जाए, श्रम अधिकारी, मामले की जांच लंबित रहने तक श्रमिक को निलंबित करेगा और इसकी सूचना तत्काल उपाध्यक्ष को देगा जो मामले की प्रारंभिक जांच के बाद उस पर आदेश देगा कि श्रमिक को, अंतिम आदेश होने तक निलंबित रखा जाए अथवा नहीं,

(iv) यदि श्रमिक को मद (iii) के अंतर्गत किसी आदेश द्वारा निलंबित किया गया है, उसे उसके निलंबन की तारीख से प्रारंभिक 90 दिनों के लिये उसके मूल वेतन, महंगाई भत्ता और अन्य भत्तों का आधे भाग का निर्वाह भत्ता जो वह वेतनयुक्त अवकाश पर जाने पर लेने का हकदार होता, भुगतान किया जाएगा और उसके बाद अध्यक्ष, असाधारण मामलों में, ऐसे मूल वेतन, महंगाई भत्ता और अन्य भत्तों की तीन चौथाई राशि के बराबर अधिक निर्वाह भत्ता दे सकेगा ;

बशर्ते कि यदि ऐसी उस जांच की अवधि सीधे श्रमिक पर आरोपित कारणों से 90 दिनों की अवधि से अधिक नहीं हो जाती है, तो नब्बे दिनों से अधिक अवधि के लिये निर्वाह भत्ता कम करके मूल वेतन, महंगाई भत्ता और अन्य भत्तों का एक चौथाई कर दिया जाएगा।

(v) इस प्रकार दिया जाने वाला निर्वाह भत्ता किसी मामले में वापस नहीं लिया जा सकेगा या जब्त नहीं किया जा सकेगा।

(vi) यदि उपाध्यक्ष यह निर्णय लेते हैं कि अनुशासनहीनता या कदाचार के अभियोग की जांच लंबित रहने तक श्रमिक के निलंबित के आदेश नहीं दिए जाने चाहिये थे, या यदि व्यापक जांच होने के बाद कोई श्रमिक उस पर लगाए गए आरोपों का दोषी नहीं पाया जाता है श्रमिक प्रशासनिक निकाय से वह वेतन प्राप्त करने का हकदार होगा जो उपाध्यक्ष द्वारा नियत किया जाएगा।

बशर्ते कि इस प्रकार की जाने वाली राशि किसी विशेष अवधि के दौरान दिये जाने वाले या भुगतान किये जा चुके निर्वाह भत्ते की राशि से घटा दी जाएगी ।

(4) यदि श्रम अधिकारी के विचार में सब क्लॉज 3 के मद (2) और

(3) में उल्लिखित दण्ड से उच्च दण्ड देना उपयुक्त है तो वह इस मामले की सूचना उपाध्यक्ष को देगा ।

(5) सब क्लॉज (4) के अंतर्गत श्रम अधिकारी से या नियोक्ता अथवा अन्य किसी व्यक्ति से रिपोर्ट मिलने पर पूल का कोई सूचीगत डॉक क्लीयरिंग एवं फोरवर्डिंग श्रमिक स्कीम के उपबन्धों में से किसी का अनुपालन करने में असफल रहा है, या उसने अनुशासनहीनता अथवा कदाचार का कार्य किया है, या मानक उत्पादन प्रस्तुत करने में लगातार असफल रहा है या स्कीम के उपबन्धों का एक से अधिक बार उल्लंघन किया है या अन्य किसी रूप में अकुशल रहा है उपाध्यक्ष ऐसी कार्रवाई कर सकता है अथवा करा सकता है जो वह उपयुक्त समझे, और उसके बाद संबंधित मजदूर के संबंध में निम्नलिखित कोई कदम उठा सकता है अर्थात् निम्नलिखित कोई दण्ड दे सकता है—

(क) निर्धारित करेगा कि श्रमिक उस अवधि के लिये जो वह उचित समझे, किसी भुगतान या क्लॉज 40 के अंतर्गत आंशिक भुगतान का हकदार नहीं होगा,

(ख) उसे लिखित चेतावनी देगा,

(ग) अधिक से अधिक तीन महीने की अवधि के लिये उसे वेतन रहित निलंबित करेगा,

(घ) उसे 14 दिनों का नोटिस या उसके स्थान पर महंगाई भत्ते सहित 14 दिनों का वेतन देने के बाद उसकी सेवाएं समाप्त कर देगा, या

(ङ) उसे बर्खास्त कर देगा ।

(6) इस क्लॉज के अंतर्गत किसी कार्रवाई के किये जाने से पहले संबंधित व्यक्ति को कारण बताने का अवसर दिया जाएगा कि उसके विरुद्ध प्रस्तावित कार्रवाई क्यों नहीं की जाए, और वह व्यक्ति यदि वह ऐसा चाहे, उस कार्रवाई के संबंध में प्रमाण प्रस्तुत कर सकेगा । संबंधित व्यक्ति को अंतिम आदेश की एक प्रति भी भेजी जाएगी ।

(7) इस क्लॉज के अंतर्गत की जाने वाली कार्रवाई के बारे में प्रशासनिक निकाय को भी साथ-साथ सूचित किया जाएगा ।

(8) क्लॉज 41 एवं 42 में निहित किसी बात के बावजूद निम्नलिखित टेबल के कॉलम (2) में निर्दिष्ट प्रावधानों के अंतर्गत नीचे दिए गए टेबल के कॉलम (1) में निर्दिष्ट प्राधिकारी में निहित शक्तियां उस टेबल के कॉलम (3) में परवर्ती प्रविष्टि में निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा भी ऐसे मामलों में प्रयोग में लाई जा सकेगी जो अंतिम नामित प्राधिकारी इस बारे में लिखित रूप में निर्दिष्ट करें:—

टेबल

कार्रवाई करने के लिये शक्ति प्राप्त अधिकारी	वह प्रावधान जिसके अंतर्गत शक्ति प्रवत्त है	विनिर्दिष्ट मामलों में कार्रवाई करने के लिये शक्ति प्राप्त प्राधिकारी
1	2	3
1. श्रम अधिकारी	क्लॉज 41 और 42	प्रशासनिक निकाय
2. कार्मिक अधिकारी	क्लॉज 42	उपाध्यक्ष या अध्यक्ष
3. उपाध्यक्ष	क्लॉज 42	अध्यक्ष

9. अनुच्छेद 43 के अधीन अध्यक्ष की शक्तियों को प्रभावित किए बिना एक सूचीबद्ध नियोक्ता को पूरा अधिकार होगा कि वह उसके अधीन नियुक्त मासिक श्रमिकों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई कर सके ।

43. अध्यक्ष की विशेष अनुशासनिक शक्तियां :

स्कीम में किसी बात के निहित होने के बावजूद यदि अध्यक्ष इस बात से संतुष्ट है कि सूचीगत डॉक क्लीयरिंग एवं फोरवर्डिंग श्रमिकों के किसी गैंग द्वारा अथवा किसी ऐसे विशेष श्रमिक द्वारा "धीमे काम करो" फिर से शुरू किया जाता है और उसी गैंग अथवा श्रमिक अथवा विभिन्न गैंगों अथवा श्रमिकों द्वारा जारी रखा जा रहा है या फिर से चालू किया जाता है, तो वह इस आशय की लिखित घोषणा कर सकते हैं।

2. जब सब क्लॉज (1) के अंतर्गत घोषणा की जाती है, वह अध्यक्ष के लिये विधिसम्मत होगा:—

(i) मासिक मजदूरों के मामले में सूचीगत नियोक्ताओं के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे मजदूरों की बर्खास्तगी सहित ऐसी कानूनी कार्रवाई करना, जो वह समुचित समझें, और

(ii) पूल में सूचीगत डॉक क्लीयरिंग एवं फोरवर्डिंग श्रमिकों के मामले में ऐसे श्रमिकों के विरुद्ध बर्खास्तगी सहित ऐसी कानूनी कार्रवाई करना जो वह उचित समझें और ऐसी मजदूरी अवधि या अवधियों, जिसके दौरान उन्होंने "धीमे काम करो" चालू रखा, के उनके गारंटी प्राप्त न्यूनतम वेतन और उपस्थिति भत्ता को जब्त करने के भी आदेश देना।

(3) अध्यक्ष कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं—

(i) जहां किसी गैंग द्वारा "गो स्लो" रखा जाता है, गैंग के सभी सदस्यों के खिलाफ, और

(ii) जहां किसी श्रमिक द्वारा "गो स्लो" रखा जाता है, संबंधित श्रमिक के खिलाफ ।

(4) किसी श्रमिक या श्रमिकों के गैंग के खिलाफ इस क्लॉज के अंतर्गत किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई करने से पहले ऐसे श्रमिक या गैंग को कारण बताने का अवसर दिया जाएगा कि उनके खिलाफ प्रस्तावित कार्रवाई क्यों नहीं की जाए,

बशर्ते कि अध्यक्ष, इस सब-क्लाज के अधीन कारण बताने का अवसर देने से पहले सब क्लाज (1) के अंतर्गत की जाने वाली घोषणा के तत्काल बाद किसी भी श्रमिक या श्रमिकों की गैंग को कार्य से निलंबित कर सकते हैं ।

(5)(क) जहां किसी श्रमिक को जांच के लंबित रहने तक निलंबित कर दिया गया है, उसे निलंबन की तारीख से प्रारंभिक नब्बे दिनों के लिये उतना भुगतान किया जाएगा जितना कि यदि वह वेतन अवकाश लेने पर आधा मूल वेतन निर्वाह भत्ता/महंगाई भत्ता और अन्य भत्ते लेने का हकदार होता उसके बाद अध्यक्ष, असाधारण मामले में ऐसे मूल वेतन महंगाई भत्ता और अन्य भत्तों के तीन-चौथाई के बराबर अधिक निर्वाह भत्ता दे सकते हैं ।

बशर्ते कि जहां ऐसी जांच श्रमिक पर प्रत्यक्ष रूप से आरोपित कारणों से नब्बे दिनों से अधिक चलती है तो नब्बे दिनों से अधिक अवधि के लिये निर्वाह भत्ता मूल वेतन, महंगाई भत्ता और अन्य भत्तों के एक चौथाई तक सीमित कर दिया जाएगा ।

(ख) इस प्रकार दिया जाने वाला निर्वाह भत्ता किसी भी मामले में वापस नहीं लिया जाएगा या जब्त नहीं किया जा सकेगा ।

(ग) जहां कोई श्रमिक दोषी नहीं पाया जाता है तो उसके निलंबन की अवधि के संबंध में वह उस वेतन भुगतान का हकदार होगा जैसा कि प्रशासनिक निकाय यह प्रमाणित करे कि मजदूर यदि वह निलंबित नहीं किया जाता समय दर आधार पर या क्लॉज 29 के अंतर्गत वह वेतन

प्राप्त करता, बशर्ते कि ऐसा दिया जाने वाला वेतन उस अवधि के दौरान दिए जा चुके निर्वाह भत्ते की राशि को कम करके दिया जाएगा ।

(6) कोई सूचीगत डॉक क्लीयरिंग एवं फोरवर्डिंग श्रमिक जो सब क्लाज (2) के अंतर्गत अध्यक्ष के किसी आदेश से प्रभावी है, आदेश मिलने के 30 दिनों के अंदर केन्द्र सरकार के किसी को अपील कर सकता है ।

44. रोजगार का समापन—(1) पूल के किसी सूचीगत डॉक क्लीयरिंग एवं फोरवर्डिंग श्रमिक का रोजगार स्कीम के उपाबन्धों के अनुसार छोड़ कर समाप्त नहीं किया जाएगा ।

(2) पूल का कोई भी सूचीगत डॉक क्लीयरिंग एवं फोरवर्डिंग श्रमिक बोर्ड को 14 दिनों की लिखित सूचना या उसके स्थान पर महंगाई भत्ते सहित 14 दिनों के वेतन छोड़ने की सूचना देने के अतिरिक्त बोर्ड से अपना रोजगार नहीं छोड़ेगा ।

(3) बोर्ड में लगे किसी सूचीगत डॉक क्लीयरिंग एवं फारवर्डिंग श्रमिक का रोजगार सब क्लॉज (1) या सब क्लाज (2) के अंतर्गत समाप्त किये जाने पर प्रशासनिक निकाय द्वारा रजिस्टर या रिकार्ड से उसका नाम उसी समय हटा दिया जाएगा ।

45. श्रमिकों द्वारा अपील : (1) इस क्लाज में निहित अन्यथा को छोड़कर पूल का कोई श्रमिक जो नीचे दिए गए टेबल के कॉलम (2) में निर्दिष्ट उपबन्धों के अंतर्गत उक्त टेबल के कॉलम (1) में निर्दिष्ट किसी प्राधिकारी द्वारा पारित किसी आदेश से प्रभावी है तो वह ऐसे आदेश के विरुद्ध उक्त टेबल के कालम (3) में निर्दिष्ट प्राधिकारी को अपील कर सकता है ।

टेबल

आदेश पारित करने वाला प्राधिकारी	प्रावधान जिनके अंतर्गत आदेश किए गए	अपीली प्राधिकारी
(1)	(2)	(3)
श्रम अधिकारी	क्लाज 41 या 42	उपाध्यक्ष
प्रशासनिक निकाय	क्लाज 41 या 42	उपाध्यक्ष
उपाध्यक्ष	क्लाज 42	अध्यक्ष
अध्यक्ष	क्लाज 42	केन्द्र सरकार

बशर्ते कि जहां उपाध्यक्ष प्रशासनिक निकाय के रूप में कार्य करते हुए आदेश जारी करता है वहां ऐसे आदेश के विरुद्ध अध्यक्ष को अपील की जा सकेगी ।

2. कोई श्रमिक जो किसी आदेश से प्रभावी है—

(i) उसे रजिस्टर या रिकार्ड में किसी विशेष वर्ग में रखना, या

(ii) क्लाज 13 के अंतर्गत सूची में रखने से मना करना, या

(iii) क्लाज 34 के सब क्लाज (4) के मद (ख) के अंतर्गत उससे ऐसे काम की प्रत्याशा करना जो उस वर्ग का नहीं है जिससे वह श्रमिक संबंधित है, अध्यक्ष को अपील कर सकता है । ऐसे मामले में सुनवाई नहीं होगी, जहां बोर्ड के अनुदेशों के अनुसार किसी सूचीगत डाक क्लीयरिंग एवं फोरवर्डिंग श्रमिक को रजिस्टर या रिकार्ड से हटाने की सूचना अग्रिम दी गई है, यदि उसे हटाने का यह आधार है कि सूचीगत डाक क्लीयरिंग एवं फोरवर्डिंग श्रमिक श्रमिकों के ऐसे वर्ग या श्रेणी से है, जिनका नाम कम करने के क्रम में रजिस्टर या रिकार्ड से हटाया जाना है,

बशर्ते कि अध्यक्ष ऐसी अपील सुनेंगे जिसमें सूचीगत डाक क्लीयरिंग एवं फोरवर्डिंग श्रमिक ने यह आरोप लगाया है कि वह श्रमिकों के उस वर्ग या श्रेणी से संबंधित नहीं है, जिनका बोर्ड के अनुदेशों में उल्लेख है ।

(3) सब क्लाज (1) या सब क्लाज (2) में उल्लिखित प्रत्येक अपील लिखित रूप में और जिस आर्डर के विरुद्ध अपील करनी है, उस आदेश के प्राप्त होने के 14 दिनों के अंदर की जाए ।

बशर्ते कि अपीली प्राधिकारी, रिकार्ड किए जाने वाले कारणों से 14 दिनों की समाप्ति के बाद की गई अपील को स्वीकार कर सकता है ।

(4) अपीली प्राधिकारी अपील करने वाले को सुनवाई का अवसर देने के बाद यदि ऐसा समझता है और लिखित में रिकार्ड किए जाने वाले कारणों से ऐसा आदेश पारित कर सकता है जो वह उपयुक्त समझे ।

(5) सब क्लाज (4) के अंतर्गत पारित सभी आदेश अपील करने वाले को भेजे जाएंगे,

(6) अपील करने वाला कोई भी व्यक्ति अपीली प्राधिकारी के सम्मुख किसी लीगल प्रैक्टिशनर द्वारा प्रतिनिधित्व करने का हकदार नहीं होगा लेकिन उसे उस पंजीकृत श्रमिक संघ के प्रतिनिधि द्वारा जिसका वह सदस्य है या किसी सूचीगत डाक क्लीयरिंग एवं फोरवर्डिंग श्रमिक द्वारा प्रतिनिधित्व कराने का हक होगा ।

46. नियोक्ताओं द्वारा अपील—(1) (क) कोई सूचीगत नियोक्ता जो क्लाज 42 के सब क्लाज (1) के मद (ख) के अंतर्गत कार्मिक अधिकारी की चेतावनी से प्रभावित है, उपाध्यक्ष को अपील कर सकता है ।

(ख) कोई सूचीगत नियोक्ता जो क्लाज 42 के सब क्लाज (2) के तहत उपाध्यक्ष के आदेश से प्रभावी है, अध्यक्ष को अपील कर सकता है । क्लाज 42 के सब क्लाज (1) के मद (ख) और सब क्लाज (2) के तहत किसी आदेश के विरुद्ध कोई अपील अध्यक्ष को उनके निर्णय के लिये की जाए । क्लाज 42 के सब क्लाज (2) के मद (ख) के अंतर्गत किसी आदेश के विरुद्ध की जाने वाली अपील के मामले में अध्यक्ष उस मामले को तत्काल केन्द्र सरकार को भेजेंगे । केन्द्र सरकार अपील पर ऐसा आदेश देगी जो वह उपयुक्त समझे ।

(2) ऐसा सूचीगत नियोक्ता जिसे क्लॉज 15 के सब क्लॉज (1) के मद (ग) के अंतर्गत पंजीकरण करने के लिये ठुकराया गया है, केन्द्र सरकार को अध्यक्ष के माध्यम से अपील कर सकता है केन्द्र सरकार अपील पर ऐसा आदेश देगी जो वह उपयुक्त समझे।

(3) यदि कोई सूचीगत नियोक्ता क्लाज 42 के अंतर्गत उसके विरुद्ध अध्यक्ष के मूल आदेश से प्रभावी है, वह केन्द्र सरकार को अपील कर सकता है। केन्द्र सरकार अपील पर वह आदेश देगी जो वह उपयुक्त समझे।

(4) सब क्लाज (1), (2) और (3) में उल्लिखित प्रत्येक अपील लिखित रूप में और जिस आदेश के विरुद्ध अपील करनी है, उस आदेश के प्राप्त होने के 14 दिनों के अंदर की जाएगी।

बशर्ते कि अपीली प्राधिकारी रिकार्ड किए जाने वाले कारणों से 14 दिनों की समाप्ति के बाद की गई अपील को स्वीकार कर सकता है।

(5) अपील करने वाला कोई व्यक्ति अपीली प्राधिकारी के सम्मुख किसी लीगल प्रेक्टिशनर के द्वारा प्रतिनिधित्व करने का हकदार नहीं होगा लेकिन वह सूचीगत नियोक्ता संघ जिसका कि वह सदस्य है, के किसी प्रतिनिधि अथवा किसी सूचीगत नियोक्ता द्वारा प्रतिनिधित्व कराने का हकदार होगा।

47. अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की संशोधन शक्तियां :—

इस स्कीम में किसी बात के निहित होने के बावजूद अध्यक्ष उपाध्यक्ष द्वारा क्लाज 42 के अंतर्गत पारित किसी आदेश के मामले में या उपाध्यक्ष उक्त क्लाज के अंतर्गत कार्मिक अधिकारी या श्रम अधिकारी

द्वारा पारित किसी आदेश जैसे भी स्थिति हो, के मामले में, किसी भी समय किसी भी कार्रवाई जिसमें उपाध्यक्ष या कार्मिक अधिकारी अथवा श्रम अधिकारी जैसी भी स्थिति हो, ने आदेश पारित किया था का रिकार्ड उस मामले की कानूनता या उपयुक्तता पर स्वयं को संतुष्ट करने के उद्देश्य से मांग सकता है और उस संबंध में ऐसा आदेश दे सकता है जो वह उपयुक्त समझे,

बशर्ते कि अध्यक्ष या उपाध्यक्ष इस क्लॉज के अंतर्गत ऐसा कोई आदेश पारित नहीं करेगा जो ऐसे व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिए बिना उस व्यक्ति के हित को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करे।

48. कतिपय अपीलों के मामले में स्टे आर्डर :--ऐसे मामले में जहां किसी मजदूर द्वारा क्लाज 45 के उपबंधों के अनुसार 14 दिनों की नोटिस देकर सेवा समाप्त करने के किसी आदेश के विरुद्ध अपील की जाती है या जहां किसी नियोक्ता द्वारा क्लाज 42 के सब क्लाज (2) के मद (ख) के अंतर्गत नियोक्ता रजिस्टर से उसका नाम निकालने के किसी आदेश के विरुद्ध क्लाज 46 के उपबंधों के अंतर्गत अपील की जाती है, अपीली प्राधिकारी सुनवाई के लंबित रहने की अवधि से अपील के निपटान तक अपील के आदेश का परिचालन स्थगित कर सकता है।

49. आपातकाल में कार्रवाई के लिये विशेष उपबंध :--यदि किसी समय अध्यक्ष इस बात से संतुष्ट हो जाते हैं कि कोई ऐसी आपात स्थिति है जो पत्तन के कार्य को गंभीर रूप से प्रभावित करेगी वह लिखित आदेश में और वह उस अवधि के लिये जो वह उसमें समय-समय पर निर्दिष्ट करे उस आशय की घोषणा कर सकते हैं।

बशर्ते कि ऐसी कोई भी घोषणा केन्द्र सरकार का पूर्व अनुमोदन लिये बिना नहीं की जाएगी।

(2) सब क्लाज (1) के अंतर्गत जब तक कोई आदेश लागू है निम्नलिखित उपबंध लागू होंगे अर्थात् :--

(i) यदि ऐसा आरोप लगाया जाता है कि कोई सूचीगत नियोक्ता स्कीम के उपबंधों का अनुपालन करने में असफल रहा है तो अध्यक्ष आरोप की संक्षिप्त जांच कराने के बाद उस नियोक्ता के मामले में निम्नलिखित कोई कार्रवाई कर सकता है, अर्थात् वह

(क) सूचीगत नियोक्ता को लिखित चेतावनी दे सकता है या

(ख) निदेश दे सकता है कि सूचीगत नियोक्ता का नाम नियोक्ता रजिस्टर से हमेशा के लिये या उस अवधि के लिये जो वह नियत करे निकाल दिया जाएगा।

बशर्ते कि सब क्लाज (ख) के अंतर्गत ऐसा कोई भी निर्णय नियोक्ता को सुनवाई का उचित अवसर दिए बिना नहीं किया जाएगा।

(ii) यदि किसी सूचीगत डाक क्लीयरिंग एवं फारवर्डिंग श्रमिक के विरुद्ध अनुशासनहीनता, "गो स्लो" या कदाचार का आरोप लगाया जाता है, अध्यक्ष, जांच के लंबित रहने तक उसे तत्काल निलंबित करेगा, आरोप की संक्षिप्त जांच करेगा और मजदूर के विरुद्ध निम्नलिखित एक या अधिक कार्रवाई कर सकता है अर्थात् वह

(क) नियत कर सकता है कि उस अवधि जिसे वह उचित समझे के लिये वह श्रमिक क्लाज 40 के अधीन किसी भी भुगतान का हकदार नहीं होगा।

(ख) उसे लिखित चेतावनी दे सकता है,

(ग) अधिक से अधिक तीन महीने के लिये उसे बिना वेतन के निलंबित कर सकता है,

(घ) 14 दिनों का नोटिस या उसके स्थान पर मंहगाई भत्ता सहित 14 दिनों का वेतन देकर उसकी सेवाएं समाप्त कर सकता है या

(ङ) उसे बरखास्त कर सकता है।

बशर्ते कि सब-क्लाज (घ) के अंतर्गत कोई भी सेवा समापन या सब-क्लाज (ङ) के अंतर्गत कोई भी बरखास्तगी उसे सुनवाई का उचित अवसर देने के बाद ही की जाएगी।

(3) सूचीगत नियोक्ता और सूचीगत डाक क्लीयरिंग एवं फोरवर्डिंग श्रमिकों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई से संबंधित स्कीम के उपबंध अध्यक्ष द्वारा सब क्लाज (2) के अंतर्गत पारित आदेश पर लागू नहीं होंगे।

(4) जहां किसी सूचीगत डाक क्लीयरिंग एवं फोरवर्डिंग श्रमिक को जांच लंबित रहने तक निलंबित किया है, उसे उसके निलंबन की तारीख से प्रारंभिक नब्बे दिन के लिये वह आधा मूल वेतन, मंहगाई भत्ता और अन्य भत्तों का निर्वाह भत्ता दिया जाएगा, जो यदि वह वेतनयुक्त अवकाश पर जाने के समय प्राप्त करने का हकदार होता, और इसके बाद अध्यक्ष असाधारण मामलों में उस मूल वेतन, मंहगाई भत्ते और अन्य भत्तों का अधिक से अधिक तीन चौथाई भाग निर्वाह भत्ता के रूप में दे सकता है।

बशर्ते कि जहां ऐसी जांच प्रत्यक्ष रूप से मजदूर पर आरोपित किसी कारण से 90 दिनों की अवधि से अधिक चलती है तो नब्बे दिनों से अधिक अवधि के लिये निर्वाह भत्ता मूल वेतन, मंहगाई भत्ता और अन्य भत्तों के एक चौथाई तक कम कर दिया जाएगा।

(5) इस प्रकार दिया जाने वाला निर्वाह भत्ता किसी भी मामले में वसूल या जब्त नहीं किया जा सकेगा।

(6) जहां कोई श्रमिक दोषी नहीं पाया जाता है, अपनी निलंबन की अवधि के संबंध में वह ऐसे भुगतान का हकदार होगा जो प्रशासनिक निकाय प्रमाणित करे कि यदि वह निलम्बित नहीं किया जाता तो समय दर आधार या क्लाज 29 के अंतर्गत धनराशि प्राप्त करता, बशर्ते कि इस प्रकार दिया जाने वाला भुगतान उक्त अवधि के दौरान दिये गए निर्वाह भत्ते को निकाल कर दिया जाएगा।

(7) कोई भी सूचीगत डाक क्लीयरिंग एवं फोरवर्डिंग श्रमिक या सूचीगत नियोक्ता जो अध्यक्ष द्वारा सब क्लाज (2) के अंतर्गत पारित आदेश से प्रभावी होता है, आदेश मिलने की तारीख से 30 दिनों के अन्दर केन्द्र सरकार को अपील कर सकता है।

(8) स्कीम में निहित किसी बात के होने के बावजूद सब क्लाज (1) के अंतर्गत कोई आदेश जब तक प्रभावी है, अध्यक्ष सूचीगत नियोक्ताओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से गैरसूचीगत श्रमिकों का रोजगार और ऐसे गैरसूचीगत श्रमिकों को सीधे भुगतान करना प्राधिकृत कर सकता है।

50. अन्तर परिवर्तनीयता और डिप्लायबिलिटी :--एक सूचीबद्ध डाक क्लीयरिंग और फारवर्डिंग श्रमिक स्कीम के तहत सूचीकरण से पूर्व प्रचलित मैनिंग स्केल्स और नियुक्ति में डिपलायबिलिटी के बारे में लचीलेपन की प्रक्रिया से सहमत होगा। कार्य की आवश्यकता के अनुसार स्कीम के अंतर्गत उसे विभिन्न अन्य श्रेणियों में परस्पर बदला जा सकता है।

51. स्कीम की परिचालन लागत --स्कीम की परिचालन लागत सूचीगत नियोक्ताओं द्वारा बोर्ड को किए गए भुगतान द्वारा अदा की जाएगी। प्रत्येक सूचीगत नियोक्ता, बोर्ड को सूचीगत डाक क्लीयरिंग एवं फोरवर्डिंग श्रमिकों के संबंध में लेवी के माध्यम से वह धनराशि क्लॉज 35 के सब क्लॉज (5) के मद (1) के अधीन उसकी तरफ से बकाया कुल वेतन के भुगतान के रूप में उसी समय देगा जो बोर्ड समय-समय पर सूचीगत नियोक्ताओं को लिखित नोटिस के द्वारा नियत करे। यदि आवश्यक समझे तो बोर्ड उस दर पर किसी सूचीगत नियोक्ता को मासिक श्रमिकों के संबंध में लेवी के माध्यम से ऐसी धनराशि देने को कह सकता है, जो वह नियत करे और ऐसी लेवी के माध्यम से

दी जाने वाली धनराशि उस धनराशि से कम नहीं होगी जो बोर्ड प्रत्येक सूचीगत नियोक्ता द्वारा देय न्यूनतम धनराशि के रूप में निश्चित करे।

(2) सूचीगत नियोक्ता द्वारा सब क्लॉज (1) के अंतर्गत किये जाने वाले भुगतान को नियत करने में, बोर्ड श्रमिकों या कार्य के विभिन्न वर्गों के लिये लेवी की विभिन्न दर नियत कर सकता है, बशर्ते कि लेवी इस प्रकार नियत की जाएगी कि लेवी की वही दर सभी सूचीगत नियोक्ताओं जो वैसी परिस्थितियों में है, पर भी लागू होगी।

(3) बोर्ड केन्द्र सरकार की पूर्व अनुमति के बिना दिहाड़ी दर के आधार पर परिकलित अनुमानित कुल वेतन बिल के सौ प्रतिशत से अधिक लेवी संस्वीकृत नहीं करेगा।

(4) सूचीगत नियोक्ता मांग किये जाने पर बोर्ड को उक्त सब-क्लॉज (1) में उल्लिखित राशि का डिपोजिट के माध्यम से भुगतान करेगा या बकाया धनराशि के लिये ऐसी अन्य संभूति देगा जो बोर्ड आवश्यक समझे।

(5) प्रशासनिक निकाय, बोर्ड को समय-समय ऐसे आंकड़े व अन्य सूचना देगा जो स्कीम के परिचालन एवं वित्त पोषण के संबंध में उपयुक्त रूप से आवश्यक होगी।

(6) यदि कोई सूचीगत नियोक्ता सब क्लॉज (1) के अंतर्गत उस पर बकाया राशि का भुगतान या अन्य बकाया और बोर्ड को अन्य रूप में देय राशि अथवा हिसाब प्रशासनिक निकाय को निर्धारित समय में करने में असफल रहता है तो प्रशासनिक निकाय नियोक्ता को इस आशय का नोटिस देगा कि यदि वह इस नोटिस के प्राप्त होने की तारीख से तीन दिनों के अंदर बकाया राशि का भुगतान नहीं करता है तो उसे सूचीगत डॉक क्लीयरिंग एवं फोरवर्डिंग श्रमिकों की सप्लाई स्थगित कर दी जाएगी। नोटिस अवधि के समाप्त होने पर, प्रशासनिक निकाय दोषी नियोक्ता को, जब तक वह बकाया राशि का भुगतान नहीं कर देता है, सूचीगत डॉक क्लीयरिंग एवं फोरवर्डिंग श्रमिकों की सप्लाई बंद कर देगा।

52. भविष्य निधि एवं उपदान (ग्रेच्युटी) : (1) पूल के मजदूरों और सूचीगत नियोक्ताओं के संबंध में सूचीगत नियोक्ताओं और सूचीगत डॉक क्लीयरिंग एवं फोरवर्डिंग श्रमिकों के बीच हुए किसी करार के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना बोर्ड उनके मासिक श्रमिकों के संबंध में अंशदायी भविष्य निधि की व्यवस्था के लिये नियम बनायेगा और उनका प्रचलन करेगा। नियमों में मजदूरों और नियोक्ताओं के अंशदान की दर भुगतान के तरीके एवं पद्धति तथा अन्य ऐसे मामलों की व्यवस्था होगी जो आवश्यक समझी जाए।

बशर्ते कि मासिक श्रमिकों पर लागू नियम पूल के मजदूरों से संबंधित नियमों से कम फायदेमंद नहीं होंगे।

(2) बोर्ड, सूचीगत नियोक्ताओं और सूचीगत डॉक क्लीयरिंग एवं फोरवर्डिंग श्रमिकों के बीच हुए किसी करार के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, सूचीगत डॉक क्लीयरिंग एवं फोरवर्डिंग श्रमिकों को उपदान का भुगतान करने के लिये नियम बनाएगा।

53. दण्ड : क्लॉज 37 का उल्लंघन, पहला उल्लंघन करने के संबंध में तीन महीने अवधि की सजा या बाद में किये जाने वाले अन्य उल्लंघन के लिये छह महीने के लिये सजा, या पहले उल्लंघन के संबंध में पांच सौ रु. का अर्थदण्ड या बाद में किये जाने वाले किसी अन्य उल्लंघन के लिये एक हजार रुपये का अर्थदण्ड या उक्त उल्लिखित सजा एवं अर्थदण्ड दोनों प्रकार से, दण्डनीय होगा।

अनुसूची I

[क्लॉज 2 (11) देखें]

डॉक कार्य एवं सूचीगत डॉक क्लीयरिंग एवं फोरवर्डिंग श्रमिकों के वर्ग या श्रेणियां जिन पर ये स्कीमें लागू होती हैं।

(1) लीज्ड अथवा किराए के ह्वार्फ, शेड गोदाम या खुले प्लाट पर आयात एवं निर्यात कार्गो को लारियों, ट्रेलरों और वैगनों में लादना या उतारना लेकिन इसमें निम्नलिखित शामिल नहीं होगा :

(क) लदान और उतारने का कार्य

(1) हल्क कार्गो

(2) पोर्ट ट्रस्ट मजदूरों द्वारा हैंडल किये जाने वाली पोर्ट ट्रस्ट की परियोजना सामग्री।

(3) जहाज के भंडार

(4) व्यक्तिगत सामान; और

(5) रक्षा विभाग को या उनके द्वारा प्रेषित कार्गो का लदान एवं उतारने का कार्य

2. सूचीगत डॉक क्लीयरिंग एवं फोरवर्डिंग श्रमिकों के निम्नलिखित वर्ग :

(क) मिस्त्री

(ख) मजदूर

अनुसूची II

(क्लॉज 28 देखें)

एक महीने में दिनों की न्यूनतम संख्या जिसके लिये मजदूरी की गारंटी दी जाती है का नीचे दी गई पद्धति के अनुसार ठीक पिछले 12 महीनों के दौरान औसत रोजगार के आधार पर वार्षिक मूल्यांकन किया जाए।

(क) सूचीगत डॉक क्लीयरिंग एवं फोरवर्डिंग श्रमिकों या मजदूरों तथा सूचीगत पूल में अवकाश आरक्षी श्रमिकों द्वारा प्रत्येक महीने में जितनी जन-पारियों में कार्य किया गया उसकी पूरी संख्या रिकार्ड की जाए।

(ख) सभी कार्य-दिनों को सूचीगत डॉक क्लीयरिंग एवं फोरवर्डिंग श्रमिकों या मजदूरों तथा सूचीगत पूल में अवकाश आरक्षी श्रमिकों की प्रभावी संख्या रिकार्ड की जाए।

सूचीगत डॉक क्लीयरिंग एवं फोरवर्डिंग श्रमिकों या मजदूरों तथा सूचीगत पूल में अवकाश आरक्षी श्रमिकों की किसी विशेष कार्य दिवस को प्रभावी संख्या।	उस दिन सूचीगत पूल रजिस्टर में सूचीगत पूल क्लीयरिंग एवं फोरवर्डिंग श्रमिकों या मजदूरों तथा अवकाश आरक्षी श्रमिकों की संख्या होगी।	सूचीगत क्लीयरिंग एवं फोरवर्डिंग श्रमिकों या मजदूरों तथा प्राधिकृत या अप्राधिकृत अवकाश पर सूचीगत पूल के अवकाश आरक्षी श्रमिकों की संख्या तथा इन वर्गों के ऐसे श्रमिकों की संख्या जिनकी उस दिन मृत्यु हो जाती है या जिनकी सेवाएं उस दिन समाप्त कर दी जाती है।

(ग) उक्त (ख) के अंतर्गत, किसी महीने के सभी कार्य दिवसों का सूचीगत क्लीयरिंग एवं फोरवर्डिंग श्रमिकों या मजदूरों की गिनी गई प्रभावी संख्या जोड़ी जाए और उस महीने के लिये इन श्रमिकों की प्रभावी संख्या जोड़ी जाए और उस महीने के लिये इन श्रमिकों की प्रभावी संख्या का पता लगाने के लिये महीने के कार्य दिवसों की संख्या से विभाजित की जाए।

(घ) इन वर्गों में प्रति श्रमिक प्रति माह औसत रोजगार का पता लगाने के लिये मद (क) को मद (ग) से विभाजित किया जाए।

(ङ) 12 लगातार महीनों के लिये उक्त (घ) के अंतर्गत प्राप्त औसत को जोड़ा जाए एवं 12 से विभाजित किया जाए। इस प्राप्त

प्राप्त होने वाली औसत अगले 12 महीनों के लिये न्यूनतम गारंटी के रूप में नियत की जाएगी।

इसे स्पष्ट करने के लिये नीचे एक उदाहरण दिया गया है।

मान लीजिये कि जुलाई, 1986 में एक मूल्यांकन किया जाता है और मान लीजिये कि सूचीगत क्लीयरिंग एवं फोरवर्डिंग श्रमिकों या मजदूरों तथा सूचीगत पूल के अन्तर्गत आरक्षी श्रमिकों की प्रभावी संख्या तथा जुलाई, 1985 से जून, 1986 की अवधि के दौरान उनके कार्य की अनुपारियां नीचे टेबल के कालम (2) और (3) में दिखाई गई है :

टेबल

महीना	प्रभावी संख्या	कार्य की पारियों की कुल संख्या	प्रति श्रमिक प्रति माह औसत रोजगार (पारियां)
1	2	3	4
जुलाई, 1985	532	9584	18
अगस्त	530	8959	17
सितंबर	529	8852	17
अक्तूबर	529	8795	17
नवंबर	527	9181	17
दिसंबर	523	9137	17
जनवरी, 1986	521	6318	13
फरवरी	521	7148	14
मार्च	521	6793	13
अप्रैल	521	4126	3
मई	520	5026	10
जून	520	7182	14

कालम (2) द्वारा कालम (3) को विभाजित करने पर प्रति श्रमिक प्रतिमाह औसत रोजगार का पता लगेगा और वह टेबल के कालम (4) में दिखाया गया है।

एक महीने के न्यूनतम दिनों की संख्या जिसके लिये जुलाई, 1985 से जून, 1986 की अवधि के दौरान वेतन की गारंटी दी जानी चाहिये :

$$\frac{18+17+17+17+17+17+12+14+13+8+10+14}{12} = 14.5$$

निकटतम दिन को पूरा मानने के बाद 15 दिन होगी।

यद्यपि यह औसत श्रमिकों के केवल निम्नतर वर्गों के लिये परिकलित की गई है, लेकिन यह सूचीगत क्लीयरिंग एवं फोरवर्डिंग श्रमिकों के सभी वर्गों अर्थात् मिस्त्री और मजदूरों पर लागू होगी। यदि किसी नए वर्ग को सूचीगत किया जाता है तो इस वर्ग के लिये लागू की जाने वाली न्यूनतम गारन्टी, स्कीम की क्लाज 18 (2) में उल्लिखित नए वर्गों के सूचीकरण से संबंधित दिए गए सिद्धान्तों के अनुसार नियत की जाएगी।

जुलाई, 1987 और उसके बाद प्रत्येक वर्ष परिकलन इसी प्रकार किया जाए। यदि किसी वर्ष दिनों की औसत संख्या ऐसे दिनों की न्यूनतम संख्या से कम हो जाती है जिनके लिये वेतन की गारंटी पहले ही दी जा चुकी है तो बाद वाली संख्या कम नहीं की जाएगी। दूसरे शब्दों में किसी महीने के दिनों की न्यूनतम संख्या जिनके लिये वेतन की गारंटी दी गई है, लगातार बढ़ेगी और उनमें कभी भी गिरावट नहीं आएगी।

[फा.सं. एल बी-13013/5/86-एल IV (i)]
पी. वी. राव, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

New Delhi, the 12th October, 1987

NOTIFICATION

S.O. 900(E).—The following draft of the Madras Unregistered Dock Clearing and Forwarding Workers (Regulation of Employment) Scheme, 1987, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Dock Workers (Regulation of Employment) Act, 1948 (9 of 1948), is hereby published as required by the said sub-section, for the information of all persons likely to be affected thereby, and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration on or after expiry of a period of 45 days from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

2. Any objection or suggestion which may be received from any person within the said period will be taken into consideration by the Central Government.

DRAFT SCHEME

1. Short title and commencement.—(1) This Scheme may be called the Madras Unregistered Dock Clearing and Forwarding Workers (Regulation of Employment) Scheme, 1987 (hereinafter be referred to as "the Scheme").

(2) It shall come into force on the date of its final publication in the Official Gazette.

2. Objects and application—The objects of the Scheme are to ensure,—

(i) Greater regularity of employment for dock clearing and forwarding workers and to secure that an adequate number of dock clearing and forwarding workers is available for the efficient performance of dock clearing and forwarding work.

(ii) The Scheme relates to the Port of Madras and applies to the classes or descriptions of dock work and dock workers set out in the Schedule I :

Provided that the Scheme shall not apply to any dock worker unless he is employed or listed for employment as a dock clearing and forwarding worker.

(iii) The Scheme shall apply to listed dock clearing and forwarding workers and listed employers as defined in sub-clauses (k) and (l) of clause 3.

3. Definitions : In the Scheme, unless there is anything repugnant in the subject or context—

(a) "Act" means the Dock Workers (Regulation of Employment) Act, 1948 (9 of 1948);

(b) "Administrative Body" means the Administrative Body appointed under clause 4,

(c) "Board" means the Madras Dock Labour Board;

(d) "Chairman" means the Chairman of the Board;

(e) "Deputy Chairman" means the Deputy Chairman of the Board;

(f) "Daily Worker" means a listed deck clearing and forwarding worker who is not a monthly worker;

(g) "dock work" means clearing and forwarding operations at places or premises to which the Scheme relates, ordinarily performed by the dock clearing and forwarding workers of the descriptions to which the scheme applies;

(h) "employer" means the person by whom a dock clearing and forwarding worker is employed or is to be employed under items (b) and (c) of sub-clause (1) of clause 15 and includes a Clearing Agent, Importer, Exporter or Contractor engaged in the Clearing and Forwarding work.

(i) "employers' register" means the register of employers maintained under the Scheme;

(j) "Labour Officer" means the Labour Officer appointed by the Board under clause 12;

(k) "listed dock clearing and forwarding worker" means a dock worker whose name is for the time being entered in the register or record;

(l) "listed employer" means an employer whose name is for the time being entered in the employers' register;

(m) "monthly worker" means a listed dock clearing and forwarding worker who is engaged by an employer or a group of such employers on monthly basis under a contract which requires for its termination at least one month's notice on either side;

(n) "Personnel Officer" means the Personnel Officer appointed by the Board under clause 5;

(o) "register or record" means the register or record of dock clearing and forwarding workers maintained under the Scheme;

(p) "Rules" means the Dock Workers (Regulation of Employment) Rules, 1962;

(q) "Schedule" means the Schedule annexure to the Scheme;

(r) "week" means the period commencing from midnight of Saturday and ending on the midnight of the next succeeding Saturday.

4. Administartive Body.—(i) The Central Government may, by notification in the Official Gazette, appoint any body consisting of employers of clearing and forwarding workers or any other authority to be Administartive Body for the purpose of carrying on the day-to-day administration of the Scheme.

(ii) The Administrative Body shall, subject to the supervision and control of the Board and the Chairman and subject to the provisions of Clauses 11 and 42 carry on the day-to-day administration of the Scheme.

(iii) The Central Government may, for sufficient cause, remove any Administrative Body appointed under sub-clause (i) :

Provided that the Administrative Body shall not be removed unless it has been given a reasonable opportunity of being heard.

5. Personnel Officer and other officers and staff.—The Board may appoint a Personnel Officer and such other officers and staff, and pay them such salaries and allowances and prescribe such terms and conditions of service as it deems fit :

Provided that no post the maximum salary of which exclusive of allowances, is rupees two thousand and above per mensem shall be created, and no appointment to such post shall be made by the Board except with the previous approval of the Central Government :

Provided further that the sanction of the Central Government shall not be necessary for any appointment in a leave vacancy of a duration of not more than three months.

6. Functions of the Board.—(1) The Board may take such measures as it may consider desirable for furthering the objects of the Scheme set out in clause 2 including the measures for—

(a) appointing, abolishing or reconstituting Committees;

(b) ensuring adequate supply of dock clearing and forwarding workers and proper utilisation of the workers for carrying out speedy transit of goods through the Port;

(c) regulating the recruitment and entry into and the discharge from the Scheme of dock clearing and forwarding workers and their allocation to the listed employers;

(d) determining and keeping under review, the number of listed employers and listed dock clearing and forwarding workers from time to time on the register or records and the increase or decrease to be made in the number in any such register or record;

(e) keeping, adjusting and maintaining the employers' registers, entering or re-entering therein the name of any employer and, where circumstances so require, removing from the register the name of any listed employer, either at his own request or in accordance with the provisions of the Scheme;

(f) keeping, adjusting and maintaining from time to time such registers or records, as may be necessary, of dock clearing and forwarding workers including any registers or records of such workers who are temporarily not available for clearing and forwarding work and whose absence has been approved by the Administrative Body and, where circumstances so require, removing from any register or record the name of any listed dock clearing and forwarding worker whether at his own request or in accordance with the provisions of the Scheme;

(g) the grouping or re-grouping of all listed dock clearing and forwarding workers into such groups as may be determined by the Board in consultation with the Administrative Body and thereafter reviewing the grouping of any listed dock clearing and forwarding workers on the application of the Administrative Body or of the listed dock clearing and forwarding workers;

(h) safeguarding the interest and requirement of the clearing and forwarding work for which the Board shall have powers for interchangeability of workers under different categories, and to determine the optimum requirement of workers with regard to their employment opportunity available on the date of notification of the Scheme and from time to time thereafter;

(i) making provision for the training and welfare of listed dock clearing and forwarding workers including medical services;

(j) levying and recovering from listed employers, contributions for administering the Scheme;

(k) making provisions for health and safety measures in place where dock clearing and forwarding workers are employed insofar as such provision does not exist in accordance with the requirements of any law for the time being inforce;

(l) maintaining and administering a Provident Fund, Gratuity Fund and a Pension Scheme for the listed dock clearing and forwarding workers;

(m) borrowing or raising money and issuing debentures or other securities and for the purpose of securing any debt or obligation, mortgaging or charging all or any part of the property of the Board;

(n) issuing Photo-identity cards for the listed dock clearing and forwarding workers;

(o) making recommendations to the Central Government about such changes in this Scheme as the Board may consider necessary from time to time;

(p) determining wages in relation to the actual output of work pertaining to the categories of listed dock clearing and forwarding workers in different stages and also their allowances and other conditions of service.

(2) The income and property of the Board from whatever source derived under the Scheme shall be applied solely towards the objects of the Scheme including health, safety, training and welfare measures for listed dock clearing and forwarding workers (including assistance by way of grant of loan or otherwise to Co-operative Societies formed for the exclusive benefit of dock workers and the staff of the Board) and no portion thereof shall be paid or tarnsferred directly or indirectly by way of dividend, bonus or otherwise by way of benefit to the members of the Board :

Provided that nothing contained herein shall prevent the payment of reasonable and proper remuneration and expenses to any Officer or servant of the Board or to any member of the Board in return for any services actually rendered to the Board, nor prevent the payment of interest at a reasonable rate on money lent or reasonable and proper rent for premises demised or let, by any member to the Board, nor prevent the incurring of expenditure on Welfare measures, if any, for the staff of the Board and the Administrative Body.

(3) The Board shall cause proper accounts to be kept of the cost of operating the Scheme and of all receipts and expenses under the Scheme.

(4) The Board shall submit to the Central Government—

(i) as soon as may be after the first day of April in every year and not later than the thirty-first day of October, an annual report on the working of the Scheme during the preceding year ending the thirty-first day of March together with an audited balance sheet; and

(ii) copies of proceedings of the meetings of the Board.

7. Responsibilities and duties of the Board-in-meeting.—The Board-in-meeting shall be responsible for dealing with all matters of policy and in particular may—

(a) subject to the prior approval of the Central Government—

(i) fix, before listing, the number of workers to be listed under various categories after determining the number required under each category;

(ii) increase or decrease the number of workers in any category on the list from time to time as may be necessary after a periodical review of the lists and anticipated requirements;

(iii) sanction the temporary listing of a specified number of workers in any category for a specified period;

(b) consider registration of new employers on the recommendatons of the Chairman;

(c) prescribe forms, records, registers, statements and the like required to be maintained under the Scheme;

(d) determine the wages, allowances, leave rules and other conditions of services of dock clearing the forwarding workers and refix the guaranteed minimum wages in a month after annual review;

(e) fix the rate of levy under sub-clause (1) of clause 5;

(f) appoint, abolish or reconstitute Committees under Cause 33;

(g) sanction the Annual Budget;

(h) appoint the Personnel Officer;

(i) subject to the provisions of clause 5, sanction the creation of posts and make appointments to such posts the maximum salary of which exclusive of allowances is upto rupees two thousand per mensem;

(j) make recommendations to the Central Government about any modifications in the Scheme;

(k) endeavour to settle disputes about which a request for adjudication has been made to the Central Government by the parties concerned and report to the Government the results of such endeavours,

(l) discuss statistics of output of labour and turnround of ships and record its observations and directions; and

(m) sanction the opening of accounts in such Nationalised Banks and State Bank of India including its subsidiary banks as it may direct and the operation of such accounts by such persons as the Board may from time to time direct.

8. Annual Estimates.—(1) The Chairman shall at a special meeting to be held before the end of February in such year, lay before the Board the annual budget relating to the Scheme as received from the Administrative Body under item (h) of Clause 11 of this Scheme, for the year commencing on the first day of April next ensuing, in such details and form as the Board may, from time to time, prescribe

(2) The Board shall consider the estimate so presented to it and shall within four weeks of its presentation, sanction the same either unaltered or subject to such alterations as it may deem fit.

9. Responsibilities and duties of Chairman.—(1) The Chairman shall have full administrative and executive powers to deal with all matters relating to the day-to-day administration of the Scheme and in particular to,—

(a) ensure that the decisions of the Board in regard to the adjustment of the workers' registers are carried out expeditiously;

(b) ensure that the sanction for temporary listing of workers are carried out without delay;

(c) (i) supervise and control the working of the Administrative Body;

(ii) take suitable steps if any irregularities are detected by him or brought to his notice;

(d) ensure that proper and adequate supervision is provided by the listed employers over the workers employed on their works;

(e) ensure that the provisions of the Scheme in regard to transfer and promotion of workers are carried out;

(f) constitute Medical Boards when required;

(g) ensure that conditions, laid down in the Scheme for the registration of employers are complied with by them;

(h) ensure that all forms, registers, returns and documents, prescribed under the Scheme, are properly maintained;

(i) ensure that suitable statistics in regard to the output of labour and the turn-round of work are complied and placed before the Board every quarter with appropriate remarks and explanations;

(j) sanction the creation of posts without prejudice to the power of the Board under sub-clause (i) of clause 7, the maximum of th salary of which exclusive of allowance is upto Rs. 1,934 p.m. and to make appointments to such posts;

(k) take disciplinary action against workers and employers in accordance with the provisions of the Scheme;

(l) allow relaxation in the maximum number of shifts per worker per week or per month under item (c) of sub-clause (3) of clause 2 and to report such cases to the Board;

(m) declare that there has been a 'go-slow' and to make action as authorised under the Scheme,

(n) declare a 'state of emergency' and to take action as authorised under the Scheme;

(o) make a report, when necessary to the Central Government under Rule 5 of the Dock Workers (Regulation of Employment) Rules, 1962;

(p) deal with appeals under clauses 45 and 46,

(q) discharge all other duties and responsibilities as specifically vested in the Chairman under the Scheme.

(2) The Chairman may delegate in writing to the Deputy Chairman any of the functions and duties under sub-clause (i) excepting those mentioned in items (j), (m), (n), (o), (p), and (q) thereof.

10. Responsibilities and duties of the Deputy Chairman.—The Deputy Chairman shall be the whole time officer of the Board and shall assist the Chairman in the discharge of his functions and in particular shall —

(a) discharge all functions relating to disciplinary action against listed employers and clearing and forwarding workers to the extent permitted under clause 42;

(b) function as Chairman of Committees of the Board to which he may be nominted a member;

(c) preside over the meetings of the Board in the absence of the Chairman;

(d) carry out the functions of the Administrative Body under cause 11, if he is so appointed under clause 4, or if there is no Administrative Body appointed under clause 4;

(e) exercise such other functions as are delegated to him in writing by the Chairman;

(f) make appointments to the posts without prejudice to the powers of the Board under clause 7 and of Chairman under clause 9; the maximum salary of which exclusive of all allowances is not more than Rs. 1,630 per mensem.

11. Functions of the Administrative Body.—Without prejudice to the powers and functions of the Board, the Chairman and the Deputy Chairman, the Administrative Body shall be responsible for the administration of the Scheme and shall in particular be responsible for —

(a) keeping, adjusting and maintaining the employers' register, entering or re-enteing therein the name of any employer and where circumstances so require removing from the register the name of any listed employer, either at his own request or in accordance with the provisions of the Scheme;

(b) keeping, adjusting and maintaining from time to time such registers or records as may be necessary, of listed dock clearing and forwarding workers, including any registers or records of dock clearing and forwarding workers who are temporarily not available for work and whose absence has been approved by the Administrative Body and where circumstances so require, removing from any register or record the name of any listed dock clearing and forwarding worker either at his own request or in accordance with the provisions of the Scheme;

(c) the employment and control of listed dock clearing and forwarding workers available for work when they are not otherwise employed in accordance with the Scheme;

(d) the allocation of listed dock clearing and forwarding workers in the pool who are available for work to listed employers and for this purpose the Administrative Body shall —

(i) be deemed to act as an agent for the employers;

(ii) make the fullest possible use of listed dock clearing and forwarding workers in the pool;

(iii) keep the record of attendance at Call points of listed dock clearing and forwarding workers;

(iv) provide for the maintenance of the records of employment and earnings of listed dock clearing and forwarding workers;

(v) subject to the allotment of work by rotation under sub-clause (3) of clause 26, allocate workers in accordance with Clause 27;

(vi) make necessary entries in the Attendance and Wage Cards of workers in the pool as laid down in Clause 25;

(e) (i) the collection of levy or any other contribution from the listed employers as employers as may be prescribed under the Scheme;

(ii) the collection of workers' contribution to the Provident Fund, Insurance Fund or any other fund which may be constituted under the Scheme;

(iii) the payment as agent of the listed employer to each daily worker of all earnings properly due to the worker from the employer and the payment to such workers of all monies payable by the Board to those workers in accordance with the provisions of the Scheme;

(f) appointing, subject to budget provision, such officers and servants from time to time as may be necessary :

Provided that the creation of posts the maximum of the salary of which exclusive of allowances is above Rs. 1,200 p.m. and appointment of persons to such posts shall be subject to the provisions of sub-clause (a) of Clause 7 and item (i) of sub-clause (1) of clause 9;

(g) the keeping of proper accounts of the cost of operating the Scheme and of all receipts and expenses under it, and making and submitting to the Board an annual report and audited balance sheet;

(h) the framing of the budget annually, submitting the same to the Board on or before the fifteenth day of February in each year and getting it approved by the Board;

(i) maintaining complete service records of all listed dock clearing and forwarding workers; and

(j) such other functions as may, from time to time, subject to the provisions of the Scheme, be assigned to it by the Board or the Chairman or the Deputy Chairman.

12. Labour Officer.—The Board shall appoint a Labour Officer or Labour Officers who shall carry out such functions as may be assigned to him by the Board or, as the case may be, by the Administrative Body consistent with the provisions of the Scheme.

13. Functions of the Personnel Officer.—The Personnel Officer shall assist the Deputy Chairman generally in the discharge of his duties and shall, in particular, carry out functions vested in him under clause 42.

14. Officers appointed by the Central Government for proper working of the Scheme.—(1) The Central Government may in its discretion appoint from time to time, in consultation with the Chairman of the Board, one or more Officers and entrust to such Officer or Officers such functions as it may deem fit for the proper working of the Scheme.

(2) Such officer or officers shall be subject to the general supervision and control of the Chairman and be paid from the funds of the Board. He or they shall hold office for such period and on such terms and conditions as the Central Government may determine.

15. Maintenance of Registers, etc.—(1) Employers' Register,—

(a) There shall be a register of employers.

(b) In so far as the application of the Scheme to listed dock clearing and forwarding workers is concerned, every employer who on the date of enforcement of the Scheme is already registered under the Madras Port Clearing and Forwarding Labour (Regulation of Employment) Scheme, shall be demed to have been listed under this Scheme.

(c) Persons other than those who are deemed to have been listed under item (b) shall not be listed as an employer unless the Board considers it expedient and necessary to do so and in no case shall a person be listed until he is a licenced Clearing Agent, importer or Exporter or Contractor engaged in the Clearing and Forwarding Trade.

(2) Workers' Registers.—(a) The Workers' Registers shall be maintained in the forms prescribed by Board for this purpose.

(b) The registers of the workers shall show the name of listed dock clearing and forwarding workers engaged by the Board from time to time.

16. Classification of workers in Registers.—(1) The Board shall arrange for the classification of workers by categories in the registers.

(2) Dock Clearing and Forwarding Workers listed under the Scheme shall be classified into :

1. Maistry
2. Mazdoor.

17. Fixation of number of workers on the Register.—The Board shall after due and proper investigation, in consultation with the Administrative Body, and with the prior approval of the Central Government determine, before the commencement of listing of any category, the number of workers required in that category.

18. Listing of existing and new workers.—(1) (a) Any worker who was already registered under the pool run by Madras Port Clearing and forwarding Agents as on 11-4-1984 shall be subject to being found suitable for listing after scrutiny of age, medical fitness and verification of character and antecedents, be deemed to have been listed under this Scheme. Those who are not found suitable for listing under the above conditions shall be kept out of the purview of the Scheme.

(b) Age of retirement.—The age of retirement of any worker under the Scheme shall be 58 years.

(c) The qualification for new listing shall be such age as may be prescribed by the Board having regard to local conditions but not exceeding 40 years, phycal fitness capacity and experience. Indian Nationals only shall be eligible for listing.

Provided that in the case of Ex-Service personnel and those belonging to Schedule Castes or Scheduled Tribes, the age limit may be relaxed upto 45 years by the Dock Labour Board.

(d) Listing of workers in any new category shall be done from among workers who have been or were working in the Port on any such date as the Board may prescribe in this behalf and selection for listing shall be made as far as possible on the basis of Seniority as determined by the length of service rendered by a worker in that category and notified by the Board. In case where the said seniority list is not available, selection shall be made on such other basis as the Board may determine provided that the worker is medically fit and is not more than 58 years of age.

(2) The following principles shall apply in respect of listing of categories which may after the date of enforcement of the Scheme be included in Schedule I :

(a) Before a worker is listed in any of the categories, the Board shall under Clause 17 make a thorough investigation with a view to arriving at an estimate of the number of workers in that category that are likely to be required out of all the bona fide workers in that category who may then be working in the Port.

(b) There shall be a provisional listing based on the anticipated requirement and the mere fact that a worker has been working before in the Port shall not automatically entitle him for listing.

(c) After the provisional listing has been completed, the booking in rotation shall start

without allowing, at that stage, any financial benefits other than wages which accrue to listed dock clearing and forwarding workers under the Scheme.

(d) A reassessment of the requirement shall be made after six months in the light of the actual employment obtained by workers provisionally listed and the provisional listing shall then be adjusted accordingly. The payment of attendance allowance under Clause 29 only shall commence from that time.

(e) The working under these conditions shall be examined after a year of the introduction of the rotational booking with a view to fixing the number of days for which the guaranteed minimum wages under clause 28 should be paid. From then onwards the workers will be entitled to all the benefits under the Scheme.

(f) The minimum number of days in a month for which wages are guaranteed under clause 28 to categories of workers previously registered shall not automatically be claimed by workers of the categories to be listed after the date of enforcement of the Scheme. Such minimum number of days may vary from category to category as determined under item (e) above.

(g) The wages of the workers in categories which may be listed after the date of enforcement of the Scheme, shall be such as may be fixed by the Board from time to time.

(3) The Board may from time to time permit the listing of workers temporarily for such periods and on such terms and conditions of service as the Board may specify :

Provided that the workers listed temporarily shall be entitled to attendance allowance under clause 29 and shall have the same obligations as clearing and forwarding workers in the pool.

(4) Any fresh recruitment, whether on a temporary or permanent basis, in the category in which dock clearing and forwarding workers have already been listed under the Scheme shall be done from amongst workers listed with the local Employment Exchange. If however, the requirement exceeds the number of suitable men available on the register of Employment Exchange on the day of requisition direct recruitment, after absorbing suitable men from the Employment Exchange register may be made.

(5) New workers listed under item (c) of sub-clause (1) will be on probation for a period of six months before being placed on a permanent basis on the list.

(6) Notwithstanding any other provisions of the Scheme, where the Board is of opinion that a clearing and forwarding worker has secured his listing by furnishing false information in his application or by withholding any information required therein, or where it appears that a worker has been listed improperly or incorrectly, the Board-in-meeting may direct the removal of his name from the registers :

Provided that before giving any such direction, the Board shall give him an opportunity of showing cause as to why the proposed direction should not be issued.

19. Medical Examination.—(1) A new worker before listing shall undergo, free of charge, a medical examination for physical standard by a Medical Officer nominated by the Chairman for this purpose. A worker found medically unfit by a Medical Officer may apply in writing to the Chairman for examination by a Medical Board. On receipt of such a request, the Chairman shall set up a Medical Board. The decision of the Medical Board shall be final and a worker who is medically unfit shall not be entitled to listing.

(2) If the Administartive Body deems it necessary, a worker shall undergo free of charge a medical examination by a Medical Board to be constituted by the Chairman. The decision of the Medical Board shall be final. If a worker is found permanently unfit by the Medical Board, the Chairman shall terminate his services forthwith.

20. Listing Fee.—A listing fee of Rupees ten shall be payable to the Board by each worker at the time of listing under the Scheme. Each employer shall pay a listing fee of rupees five hundred at the time of listing under the Scheme.

21. Supply of Cards.—(1) Every listed clearing and forwarding worker shall be supplied, free of cost the following in the forms prescribed by the Board, namely, (i) Temporary Pass/Photo pass, (ii) Wage Card.

(2) In case of loss of a Card, a fresh Card will be issued and the cost thereof, which will be fixed by the Board, shall be payable by the worker concerned. In all such cases of loss, the worker must report the loss immediately to the Police and the Administrative Body.

22. 'Service Records' for listed dock clearing and forwarding workers.—A service record for every daily worker shall be maintained by the Administrative Body in a form to be prescribed by the Board, which shall contain, among other things, a complete record of disciplinary actions taken against the worker, promotions, commendation for good work, etc.

23. 'Record Sheets' for listed Employers.—The Personnel Officer shall maintain a 'Record Sheet' in respect of each listed Employer in a form to be prescribed by the Board which shall contain, among other things, a complete record of disciplinary actions taken against the listed employer.

24. Surrender of Cards.—A Worker's Card shall be surrendered to the Administartive Body in the following circumstances, namely :—

(a) when proceeding on leave, for three days or more;

(b) when retiring from service;

(c) when dismissed or discharged from service;

(d) when temporarily suspended; or

(e) on death.

25. Entries in Wage Card.—(1) A clearing and forwarding worker in the Pool shall hand over his wage card to the Administrative Body at the time he is allocated for work to a Listed Employer unless any of the cards has already been deposited with the said Body previously and has not been returned to the worker. The Administrative Body shall arrange to make necessary entries in the Wage Card in respect of the period of work done by the worker and return it to him as soon as entries have been made.

(2) A clearing and forwarding worker working as a monthly worker shall hand over his wage card to his employer at the time he is allotted work unless any of the cards has already been deposited with the employer previously and has not been returned to the worker.

The said employer shall make necessary entries in the cards in respect of the period of work done by the worker and return them to him as soon as the entries have been made.

26. Employment in shifts.—(1) Workers shall be employed in shifts.

(2) (a) A worker shall not ordinarily be employed in two consecutive shifts nor shall a worker be employed in two consecutive shifts on each of two successive days. In no case shall a worker be employed in three consecutive shifts.

(b) A worker in the pool shall not be employed for more than 9 shifts in a week or 33 shifts in a month.

(c) In special circumstances, the Chairman may relax temporarily the restrictions under item (b) to the extent necessary.

(d) Workers working more than one shift in a day will be entitled to the normal rate of wages for work in each shift.

(3) Workers of each category on the listed dock clearing and forwarding workers register shall be allotted work by rotation.

27. Filling up of casual vacancies.—Casual vacancies in the listed dock clearing and forwarding workers registers in the categories of Mazdoors shall be filled up in the following manner, namely :—

When a Maistry is absent the senior-most Mazdoor in the shift shall work as Maistry. The resultant vacancy shall be filled by leave reserve workers by rotational booking.

28. Guaranteed Minimum Wages in a month.—(1) A worker in the Pool shall be paid wages at least for twelve days in a month at the wage rate, inclusive of dearness allowance, as prescribed by the Board appropriate to the category to which he permanently belongs, even though no work is found for him for the minimum number of twelve days in a month. The days on which work is allotted to the worker shall be counted towards the twelve days mentioned above. The guaranteed minimum wages in a month shall be—

(a) for the number of days for which wages are guaranteed in a month subject to the condition that the worker attended for work on all days of the months as directed by the Administrative Body;

(b) proportionate to the number of days on which the worker attended for work, provided he was excused from attendance on all the remaining days of the month.

(2) Subject to the provisions of sub-clause (1), the minimum number of days in a month for which wages are guaranteed may be fixed by the Board for each year on the basis of the monthly average employment obtained by the workers in the Pool in the lowest category of dock clearing and forwarding workers during the preceding year until the minimum number of days reaches 21.

Provided that the number so fixed shall not in any case be less than the number in the preceding year.

NOTE : The method of assessing the average employment is detailed in Schedule II.

(3) The minimum number of days for which wages shall be guaranteed under sub-clauses (1) and (2) above shall not automatically apply to workers in new categories that may be listed after the date of enforcement of Scheme. The minimum number of days for which wages shall be guaranteed to these categories shall be determined under item (e) of sub-clause (2) of clause 18. The annual refixation of the minimum number of days as under sub-clause (2) shall be done independantly in their case also.

Explanation I : In sub-clause (1), (2) and (3) of this clause a "day" means a 'shift';

Explanation II : For the purpose of this clause, the expression 'Month' shall not include the days of weekly off provided that there is no payment for the day of the weekly off.

29. Attendance allowance.—Subject to the other provisions of the Scheme, a worker on the Dock Clearing and Forwarding Workers Register who is available for work but for whom no work is found shall be paid attendance allowance for work as directed by the Administrative Body and no work was found for him;

Provided that no attendance allowance shall be payable for any day for which full wages, inclusive of dearness allowance, have been paid under clause 28 or otherwise or for which disappointment money is paid under clause 31.

30. Employment for a Shift.—(1) No worker in the Pool shall be employed for a period of less than a shift and where the work for which a worker has been engaged is completed during the working period of the shift he shall undertake such other work as may be required by the same employer for the remainder of the period.

31. Disappointment Money.—When a worker in he Pool presents himself for work and for any reason he work for which he has attended cannot commence or proceed and no alterantive work can be found for

him by the employer, he may be returned by the said employer and sent back to any place in the Port as directed by the Administartive Body within 2 hours of his attending for work. The worker so returned shall wait at the stipulated place as directed by the Administartive Body throughout the shift and accept any other employment in the same shift that may be offered by the Administartive Body. If no work is offered he shall be entitled to the disappointment money on the basis of one full time-rate wage including dearness allowance and other allowances. Where work is offered he shall be entitled to piece-rate wages for work done and for the rest of the period of the shift proportionate basic wage plus allowances.

32. Holidays.—Each worker shall be entitled in a year to 8 holidays with pay at such rates as may be prescribed by the Board under Clause 39 including all such days, which shall not exceed 6 in a year, as are declared by the Board as closed holidays. Any payment made under this clause 8 shall be exclusive of the payment calculated under clause 28.

33. Committees.—(1) The Board may appoint one or more Committees to who it may entrust such of its functions as it may deem necessary to facilitate compliance with the provisions of the Scheme and may abolish or reconstitute them as it may deem necessary.

(2) Persons who are not members of the Board may, if necessary, be nominated as co-opted members of a Committee, such co-opted members, however shall not have any right to vote.

34. Obligations of Listed Dock Clearing and forwarding workers.—(1) Every Listed Dock clearing and forwarding worker sha'l be deemed to have accepted the obligations of the Scheme.

(2) A Listed dock clearing and forwarding worker who is available for work shall be deemed to be in the employment of the Board.

(3) A listed dock clearing and forwarding worker who is available for work shall not engage himself for employment under a Listed Employer unless he is allocated to that employer by the Administrative Body.

(4) A listed dock clearing and forwarding worker who is avai'able for work shall carry out the directions of the Administartive Body and shall—

(a) report at such call points and at such times as may be specified by the Administrative Body and shall remain at such call points—

(i) throughout the period of the shift, if instructed by the Administartive Body to that effect, on payment of such retention allowance as may be prescribed by the Board, or

(ii) for such period, not exceeding one hour, as may be specified; and

(b) accept any emplayment in connection with clearing and forwarding work, whether in the category in which he has been registered or in any other category for which he is considered suitable by the Administrative Body.

(5) A listed dock clearing and forwarding worker who is available for work when allocated by the Administrative Body for employment under a listed employer shall carry out his duties in accordance with the directions of such listed employer or his authorised representative or supervisor and the rules of the port or place where he is working.

(6) The listed dock clearing and forwarding worker shall not raise any demands having additional financial implications for a period of 5 years from the date of commencement of the Scheme. He shall also abide by the flexibility in manning scales and deployment of gangs which were prevalent before the commencement of the Scheme.

35. Obligations of listed employers.—(1) Every listed employer shall accept the obligations of the Scheme.

(2) A Listed employer shall not employ a worker other than a dock clearing and forwarding worker who has been allocated to him by the Administrative Body in accordance with the provision of sub-clause (d) of Clause 11.

(3) A listed employer shall, in accordance with arrangements made by the Administrative Body, submit all available informtion of his current and future labour requirements.

(4) A listed employer shall lodge with the Administrative Body, unless otherwise directed, particulars of the tonnage handled by the workers on piece-rate and such other statistical data as may be required in respect of the listed dock clearing and forwarding workers engaged by him.

(5) (i) A listed employer shall pay to the Administrative Body in such manner and at such times as the Board may direct the levy payable under sub-clause (i) of clause 51 and the gross wages due to daily workers.

(6) A listed employer shall keep such record as the Board may require, and shall produce to the Board or to such persons as may be designated by the Board upon reasonable notice all such records and any other document of any kind relating to dock clearing and forwarding workers and to the work upon which they have been employed and furnish such information relating thereto, as may be set out in any notice or directions issued by or on behalf of the Board.

(7) A listed employer shall not pay a dock clearing and forwarding worker anything in cash or otherwise in excess of the wages normally and actually due to the worker.

36. Suspension of supply of Listed Dock clearing and forwarding workers—If a listed employer fails to make the payment due from him under sub-clause (i) of clause 51 or any other amount due and payable to the Board in any other capacity or account within such time as may be prescribed by the Administrative Body, the Administrative Body shall serve a notice on the employer to the

effect that, unless he pays his dues within three days from the date of receipt of the notice, the supply of worker to him shall be suspended. On the expiry of the notice period, the Administrative Body shall suspend the supply of listed dock clearing and forwarding workers to the defaulting employer untill he pays his dues.

37. Restriction on employment.—(1) No person other than a Listed employer shall employ any worker on work nor shall a listed employer engages the dock clearing and forwarding worker for employment or employ a worker on dock clearing and forwarding work unless that worker is a dock clearing and forwarding worker.

(2) Notwithstanding the foregoing provisions of this clause—

(a) where the Administrative Body is satisfied that—

(i) clearing and forwarding work is emergently required to be done; and

(ii) it is not reasonably practicable to obtain a dock clearing and forwarding worker for that work, the Administrative Body may, subject to any limitations imposed by the Board, allocate to a Listed employer a person who is not a listed dock clearing and forwarding worker.

In selecting such workers the local Employment Exchange organisation shall, as far as possible, be consulted :

Provided that whenever unlisted workers have to be employed, the Administrative Body shall obtain, if possible the prior approval of the Chairman to the employment of such workers, and where this is not possible shall report to the Chairman within 24 hours the full circumstances under which such workers were employed and the Chairman shall duly inform the Board of such employment at its next meeting.

(b) In the case referred to in item (a), the person so employed as aforesaid by a listed employer shall, for the purpose of sub-clauses (4), (5) and (6) of clause 35 and clause 39 be treated in respect of that dock clearing and forwarding work as if he were a daily worker.

(3) A listed clearing and forwarding worker may, provided he fulfils fully his obligations under clause 34 take up occasional employment under employers other than these listed under the Scheme on these days on which he is not allocated for work by the Administrative Body.

38. Circumstances in which the Scheme ceases to apply—(1) The Scheme shall cease to apply to a listed dock clearing and forwarding worker when his name has been removed from the register or record in accordance with the provisions of the Scheme.

(2) The Scheme shall cease to apply to a listed employer when his name has been removed from the employers' register in accordance with the provisions of the Scheme.

(3) Nothing in this clause shall affect any obligations incurred or right accrued during any time when the person was a listed dock clearing and forwarding worker or a listed employer.

39. Wages, allowances and other conditions of service of workers in categories under Schedule I.—

(1) Without prejudice to the provisions of any agreement between the listed employers and the listed dock clearing and forwarding workers, unless otherwise specifically provided for in the Scheme, it shall be an implied condition of the contract between a listed dock clearing and forwarding worker and the listed employer that—

(a) the rate of wages, allowances and overtime, hours of work, rest interval, holidays and pay in respect thereof and other conditions of service shall be such as may be prescribed by the Board from time to time for each category of workers; and

(b) the fixation of wage periods, time for payment of wages and deductions from wages shall be in accordance with the provisions of the Payment of Wages Act, 1936 (4 of 1936).

(2) A listed dock clearing and forwarding worker shall not be entitled to any benefit involving additional financial implications for a period of 5 years from the date of commencement of the Scheme.

40. Pay in respect of unemployment and underemployment.—(1) Subject to the conditions set out in this and the next following clause, in any wage period, a listed dock clearing and forwarding worker in the pool is available for work but is not given employment or full employment, he shall be entitled to receive from the Board such amounts as may be admissible to him under clauses 28, 29 and 31.

(2) The conditions subject to which a listed dock clearing and forwarding worker is entitled to the said payment (if any) from the Board are that—

(a) he attended as directed at the call points, and

(b) his attendance was recorded.

41. Disentitlement to payment.—(1) A listed dock clearing and forwarding worker who fails without adequate cause to comply with the provisions of items (a) and (b) of sub-clause (4) of clause 34 or fails to comply with any lawful order given to him by or on behalf of the Board, may be proceeded with in accordance with sub-clause (3).

(2) A listed dock clearing and forwarding worker who while in employment to which he has been allocated by the Administrative Body, fails without any adequate cause to comply with the provisions of subclause (5) of clause 34 or fails to comply with any lawful orders given to him by his employer, may have his engagement terminated and may be returned to the pool and, whether or not he is so returned, may be reported in writing to the Labour Officer. When a listed dock clearing and forwarding worker is so returned to the pool, the Administrative Body shall endorse his Attendance and Wage cards accordingly

(3) The Labour Officer shall consider any matter arising under sub-clause (1) or sub-clause (2) and if, after investigating the matter, he notifies the listed dock clearing and forwarding worker that he is satisfied that the dock clearing and forwarding worker has failed to comply with a lawful order as aforesaid, the listed dock clearing and forwarding worker shall not be entitled to any payment, or to such part of any payment under clause 40 as the Labour Officer thinks fit in respect of the wage period in which such failure occurred or continues :

Provided that the listed dock clearing and forwarding worker will be given an opportunity of showing cause before the Labour Officer takes any decision under this sub-clause.

42. Disciplinary procedure.—(1) The Personnel Officer on receipt of information, whether on a complaint or otherwise, that a listed employer has failed to carry out the provisions of the Scheme may after investigating the matter—

(1) give him a warning in writing, or

(2) if in his opinion, a higher penalty is merited, report the case to the Deputy Chairman.

(2) The Deputy Chairman shall then cause such further investigation to be made as he may deem fit and take any of the following steps as regards that employer, that is to say, he may—

(a) censure the employer and record the censure in his record sheet; or

(b) subject to the approval of the Board and after one month's notice in writing to the employer, direct that the name of the employer shall be removed from the list of employers for such period as may be determined by the Board or permanently, if the Board so determines.

(3) (i) A listed dock clearing and forwarding worker in the pool, who fails to comply with any of the provisions of the Scheme, or commits any act of indiscipline or misconduct, may be reported against in writing to the Labour Officer.

(ii) The Labour Officer after investigating the matter take any of the following steps as regards that worker, that is to say, he may—

(a) determine that, for such period as he thinks proper, that worker shall not be entitled to any payment or part payment under clause 40;

(b) give him a warning in writing; or

(c) suspend him without pay for a period not exceeding 10 days.

(iii) Where in a case reported to the Labour Officer under sub-clause (i), he is of opinion that the act of indiscipline or misconduct is so serious that the worker should not be allowed to work any longer, the Labour Officer may, pending investigation of the matter, suspend the worker and report immediately to the Deputy Chairman, who after preliminary investigation of the matter shall pass orders thereon whether the worker, pending final orders, should remain suspended or not.

(iv) Where a worker has been suspended by an order under item (iii), he shall be paid for the first ninety days from the date of suspension, a subsistence allowance of one-half of the basic wages, dearness and other allowances to which he would have been entitled if he were on leave with wages, and thereafter the Chairman may in exceptional cases, grant higher subsistance allowance not exceeding three-fourths of such basic wages, dearness and other allowances :

Provided that where such enquiry is prolonged beyond a period of ninety days for reasons directly attributable to the worker, the subsistance allowance shall, for the period exceeding ninety days, be reduced to one-fourth of the basic wages, dearness and other allowances.

(v) The subsistence allowance so paid shall not be recoverable or liable to forfeiture in any case whatsoever.

(vi) Where the Deputy Chairman comes to the decision that the order of suspension of the worker pending investigation into charge of indiscipline or misconducts, as the case may be, ought not to have been made, or where a worker is found not guilty of the charges framed against him after a thorough enquiry, the worker shall be entitled to such payments from the Administrative Body as may be decided by the Deputy Chairman :

Provided that the amounts so payable shall be reduced by the amount of subsistence allowance payable or already paid during a particular period.

(4) Where in the opinion of the Labour Officer, a higher punishment than that provided in items (ii) and (iii) of sub-clause (3) is merited, he shall report the same to the Deputy Chairman.

(5) On receipt of the report from the Labour Officer under sub-clause (4) or from the employers or other person that a listed dock clearing and forwarding worker in the pool has failed to comply with any of the provisions of the Scheme, or has committed an act of indiscipline or misconduct, or has consistently failed to produce the standard output or has violated the provisions of the Scheme more than once or has been inefficient in any other manner, the Deputy Chairman may make or cause to be made such further investigation as he may deem fit, and thereafter take any of the following, as regards the worker concerned, that is to say, he may impose any of the following penalties—

(a) determine that, for such period as he thinks proper, the worker shall not be entitled to any payment or part payment under clause 40;

(b) give him a warning in writing;

(c) suspend him without pay for a period not exceeding three months;

(d) terminate his services after giving 14 days' notice or 14 days' wages inclusive of dearness allowance in lieu thereof; or

(e) dismiss him.

(6) Before any action is taken under this clause the person concerned shall be given an opportunity to show cause why the proposed action should not be taken against him and such person may, if he so desires, adduce evidence in respect of such action. A copy of the final order shall also be communicated to the person concerned.

(7) The Administrative Body shall be informed simultaneously about the action taken under this clause.

(8) Notwithstanding anything contained in clauses 41 and 42, the powers vested in the authority, specified in column (1) of the Table below, under the provisions specified in column (2) of the said Table shall also be exercisable by the authority specified in the corresponding entry in column (3) of that Table.

TABLE

Authority empowered to take action	Provisions under which power vested	Authority empowered to take action in specified cases
1	2	3
1. Labour Officer	Clauses 41 & 42	Administrative Body
2. Personnel Officer	Clause 42	Deputy Chairman or Chairman
3. Deputy Chairman	Clause 42	Chairman

(9) Without prejudice to the powers of the Chairman under clause 43 a listed employer shall have full powers to take disciplinary action against monthly workers employed under him.

43. Special disciplinary powers of the Chairman.—(1) Notwithstanding anything contained in the Scheme, if the Chairman is satisfied that a 'go-slow' has been resorted to by any gang of listed dock clearing and forwarding workers or by any such individual worker and is being continued or repeates by the same gang or worker or different gangs of workers, he may make a declaration in writing to that effect.

(2) When a declaration under sub-clause (1) has been made, it shall be lawful for the Chairman.—

(i) in the case of monthly workers, to without prejudice to the rights of the listed employers, such disciplinary action, including dismissal, against such workers, as he may consider appropriate ; and

(ii) in the case of listed dock clearing and forwarding workers in the pool to take such disciplinary action, including dismissal against such workers as he may consider appropriate and also to order forfeiture of their guaranteed minimum wages and attendance allowance for the wage period or periods in which the 'go-slow' has been resorted to.

(3) The Chairman may take disciplinary action.—

(i) Where the 'go slow' is resorted to by a gang, against all the members of the gang ; and

(ii) where the 'go slow' is resorted to by a worker, against the worker concerned.

(4) Before any disciplinary action is taken under this clause against any worker or any gang of workers, such worker or gang shall be given an opportunity to show cause why the proposed action should not be taken against him :

Provided that the Chairman may, before giving an opportunity to show cause under this sub-clause, suspend from work any worker or gang of workers immediately after a declaration has been made under sub-clause (1).

(5) (a) Where a worker has been suspended pending enquiry, he shall be paid for the first ninety days from the date of suspension, a subsistence allowance of one-half of the basic wages, dearness and other allowances to which he would have been entitled if he were on leave with wages, and thereafter the Chairman may, in exceptional cases, grant higher subsistence allowance not exceeding three-fourth of such basic wages, dearness and other allowances :

Provided that where such enquiry is prolonged beyond a period of ninety days for reasons directly attributable to the worker, the subsistence allowance shall, for the period exceeding ninety days, be reduced to one-fourth of the basic wages, dearness and other allowances.

(b) The subsistence allowance so paid shall not be recoverable or liable to forfeiture in any case whatsoever.

(c) Where a worker is found not guilty, he shall be entitled to such payments in respect of the period of his suspension as the Administrative Body may certify that the worker would have received on the time rate basis or under clause 29 had he not been suspended ; provided that the amounts so payable shall be reduced by the amount of subsistence allowance already paid during that period.

(6) Any listed dock clearing and forwarding worker who is aggrieved by an order of the Chairman under sub-clause (2) may, within 30 days of the date of receipt of the order, prefer an appeal to the Central Government.

44. Termination of Employment.—(1) The employment of a listed dock clearing and forwarding worker in the pool shall not be terminated except in accordance with the provisions of the Scheme.

(2) A listed dock clearing and forwarding worker in the pool shall not leave his employment with the Board except by giving fourteen days notice in writing to the Board or forfeiting fourteen days' wages inclusive of dearness allowance in lieu thereof.

(3) When the employment of a listed dock clearing and forwarding worker with the Board, has been

termianted under sub-clause (1) or sub-clause (2) above, his name shall forthwith be removed from the register or record by the Administrative Body.

45. Appeals by Workers.—(1) Save as otherwise provided in this clause, a worker in the pool who is aggrieved by an order passed by an authority, specified in column (1) of the Table below, under the provisions specified in column (2) of the said Table, may prefer an appeal against such order to the authority specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table.

TABLE

Authority passing order	Provisions under which Order made	Appellate Authority
Labour Officer	Clause 41 or 42	Deputy Chairman
Administrative Body	Clause 41 or 42	Deputy Chairman
Deputy Chairman	Clause 42	Chairman
Chairman	Clause 42	Central Government

Provided that where the Deputy Chairman passes an order while acting as the Administrative Body, appeal against such order shall lie to the Chairman.

(2) A worker who is aggrieved by an order.—

(i) placing him in a particular group in the register or record ; or

(ii) refusing listing under clause 18 ; or

(iii) requiring him under item (b) of sub-clause (4) of clause 34 to undertake any work which is not of the same category to which he belongs, may prefer an appeal to the Chairman. No appeal shall lie where due notice has been given of the removal of the same of the listed dock clearing and forwarding worker from the register or record in accordance with the instructions of the Board, if the ground of removal is that the listed dock clearing and forwarding worker falls within a class or description of workers whose names are to be removed from the register or record in order to reduce the size thereof :

Provided that an appeal shall lie to the Chairman where the listed dock clearing and forwarding worker alleges that he does not belong to the class or description of workers refererd to in the instructions of the Board.

(3) Every appeal referred to in sub-clause (1) or sub-clause (2) shall be in writing and preferred within 14 days of the date of receipt of the order appealed against.

Provided that the appellate authority may, for reasons to be accorded, admit an appeal preferred after the expiry of 14 days.

(4) The appellate authority may, after giving an apportunity to the appellant to be heard, if he so desires, and for reasons to be recorded in writing pass such order as it thinks fit.

(5) Every order passed under sub-clause (4) shall be communicated to the appellant.

(6) An Appellant shall not be entitled to be represented by a legal practitioner before the appellate authority but he shall be entitled to be represented by a representative of the registered trade union of which he is a member or by a listed dock clearing and forwarding worker.

46. Appeals by employers :—(1) (a) A listed employer who is aggrieved by a warning of the Personnel Officer under item (i) of sub-clause (1) of clause 42 may appeal to the Deputy Chairman.

(b) A listed employer who is aggrieved by an order of the Deputy Chairman under sub-clause (2) of clause 42, may appeal to the Chairman. An appeal against an order under item (i) sub-clause (1) and sub-clause (2) of clause 42 may be preferred to the Chairman for his decision. In the case of an appeal against an order under item (b) of sub-clause (2) of clause 42, the Chairman shall forthwith refer the matter to the Central Government. The Central Government shall make such order on the appeal as it thinks fit.

(2) A listed employer who has been refused registration under item (c) of sub-clause (2) of clause 15 may appeal to the Central Government through the Chairman. The Central Government shall make such order on the appeal as it thinks fit.

(3) If a listed employer is aggrieved by an original order of the Chairman against him under Clause 42, he may prefer an appeal to the Central Government. The Central Government shall make such order on the appeal as it thinks fit.

(4) Every appeal referred to in sub-clauses (1), (2) and (3) shall be in writing and preferred within 14 days of the receipt of the order appealed against.

Provided that the appellate authority may for reasons to be recorded, admit an appeal preferred after the expiry of 14 days.

(5) An appellant shall not be entitled to be represented by a legal practitioner before the appellate authority but he shall be entitled to be represented by a representative of the association of listed employers of which he is a member or by a listed employer.

47. Power of revision of the Chairman and Deputy Chairman :—Notwithstanding anything contained in this Scheme, the Chairman, in the case of an order passed by the Deputy Chairman under clause 42, or the Deputy Chairman, in the case of an order

passed by the Personnel Officer of the Labour Officer as the case may be, under the said clause, may, at any time, call for the record of any proceeding in which the Deputy Chairman or the Personnel Officer or the Labour Officer, as the case may be, had passed the order, for the purpose of satisfying himself as to the legality or propriety thereof and may pass such order in relation thereto as he may think fit :

Provided that the Chairman or the Deputy Chairman shall not pass any order under this clause which may prejudicially effect the interests of any person without giving such person a reasonable opportunity of being heard.

48. Stay of Order in case of certain appeals :— Where an appeal is lodged by a worker in accordance with the provisions of clause 45 against an order of termination of service of 14 days notice or where an appeal is lodged by an employer in accordance with the provisions of clause 46 against an order removing his name from the employers' register under item (b) of sub-clause (2) of clause 42, the appellate authority may suspend the operation of the order appealed from pending the hearing and disposal of the appeal.

49. Special provisions for action in an emergency :—(1) If at any time the Chairman is satisfied that an emergency has arisen which will seriously effect the working of the port, he may, by order in writing and for such period as he may from time to time specify therein, make declaration to that effect :

Provided that no such declaration shall be made except with the previous approval of the Central Government.

(2) So long as an order under sub-clause (1) is in force, the following provisions shall apply, namely :—

(i) If any allegation is made that a listed employer has failed to carry out the provisions of the Scheme, the Chairman may, after holding a summary inquiry into the allegation take any of the following steps as regards that employer, that is to say, he may—

(a) give the listed employer a warning in writing, or

(b) direct that the name of the listed employer shall be removed forthwith from the employers register either permanently or for such period as he may determine.

Provided that no such removal under sub-clause (b) shall be made except after giving the employer a reasonable opportunity of being heard.

(ii) If any allegation of indiscipline, 'go-slow' or misconduct is made against a listed dock clearing and forwarding worker, the Chairman may suspend him forthwith pending enquiry, hold a summary inquiry into the allegation and take any one or more of the following steps against that worker, that is to say, he may—

(a) determine that for such period as he thinks proper that worker shall not be entitled to any payment under clause 40;

(b) give him a warning in writing ;

(c) suspend him without pay for a period not exceeding three months;

(d) terminate his services after giving 14 days' notice or 14 days' wages inclusive of dearness allowance in lieu thereof; or

(e) dismiss him :

Provided that no such termination under sub-item (d), or dismissal under sub-item (e) shall be made except after giving the worker a reasonable opportunity of being heard.

(3) The provisions of the Scheme relating to disciplinary action against listed employers and listed dock clearing and forwarding workers shall not apply to any order passed by the Chairman under sub-clause (2).

(4) Where a listed dock clearing and forwarding worker has been suspended pending enquiry, he shall be paid for the first ninety days from the date of suspension, a subsistance allowance of one half of the basic wages, dearness and other allowances to which he would have been entitled if he were on leave with wages, and thereafter the Chairman may, in exceptional cases grant higher subsistence allowance not exceeding three-fourths of such basic wages, dearness and other allowances :

Provided that where such enquiry is prolonged beyond a period of ninety days for reasons directly attributable to the worker, the subsistence allowance shall, for the period exceeding ninety days, be reduced to one-fourth of the basic wages, dearness and other allowances.

(5) The subsistance allowance so paid shall not be recoverable or liable to forfeiture in any case whatsoever.

(6) Where a worker is found not guilty, he shall be entitled to such payments in respect of the period of his suspension as the Administrative Body may certify that the worker would have received on the time rate basis or under clause 29 had he not been suspended, provided that the amount so payable shall be reduced by the amount of subsistence allowance already paid during that period.

(7) Any listed dock clearing and forwarding worker or listed employer who is aggrieved by an order passed by the Chairman under sub-clause (2) may, within 30 days of the date of receipt of the order, prefer an appeal to the Central Government.

(8) Notwithstanding anything contained in the Scheme, so long as an order under sub-clause (1) is in force the Chairman may authorise the employment of unlisted workers directly by listed employers and payment to such unlisted workers directly.

50. Interchangeability and Deployability :—A listed dock clearing and forwarding worker shall agree to maintain the flexibility in manning scales and de-

ployability in employment as was prevalent before the listing under the Scheme. He shall also be interchangeable with various other categories under the Scheme as required by the exigencies of work.

51. Cost of operating the Scheme :—(1) The cost of operating the Scheme shall be defrayed by payments made by listed employers to the Board. Every listed employer shall pay to the Board such amount by way of levy in respect of listed dock clearing and forwarding workers together with and at the same time as the payment of gross wages due from him under item (i) of sub-clause (5) of clause 35 as the Board may, from time to time, prescribe by a written notice to listed employers. If considered necessary, the Board may require any listed employer to pay such amount by way of levy in respect of monthly workers at such rate as it may determine and the amount payable by way of such levy shall not be less than such amount as the Board may fix as the minimum payable by every listed employer.

(2) In determining what payments are to be made by listed employers under sub-clause (1), the Board may fix different rates of levy for different categories of work or workers, provided that the levy shall be so fixed that the same rate of levy will apply to all listed employers who are in like circumstances.

(3) The Board shall not sanction any levy exceeding hundred per cent of the estimated total wage bill calculated on the basis of the daily wage rate without the prior approval of the Central Government.

(4) A listed employer shall on demand make a payment to the Board by way of deposit, or provide such other security for the due payment of the amount referred to in sub-clause (1) as the Board may consider necessary.

(5) The Administrative Body shall furnish from time to time to the Board such statistics and other information as may reasonably be required in connection with the operation and financing of the Scheme.

(6) If a listed employer fail to make the payment due from him under sub-clause (1) or any other amount due and payable to the Board in any other capacity or account within the time prescribed by the Administrative Body the Administrative Body shall serve a notice on the employer to the effect that, unless he pays his dues within three days from the date of receipt of the notice, the supply of listed dock clearing and forwarding workers to him shall be suspended. On the expiry of the notice period, the Administrative Body shall suspend the supply of listed dock clearing and forwarding workers to a defaulting employer until he pays his dues.

52. Provident Fund and Gratuity :—(1) Without prejudice to the provisions of any agreement entered into between listed employers and listed dock clearing and forwarding workers the Board in respectively the workers in the Pool and the listed employers, in respect of their monthly workers, shall frame and operate rules providing for contributory provident fund. The rules shall provide for the rate of contribution from the workers and the employers, the manner and method of payment and such other matters as may be considered necessary :

Provided that the rules applicable to monthly workers shall not be less favourable than these relating to workers in the Pool.

(2) Without prejudice to the provisions of any agreement entered into between the listed employers and listed dock clearing and forwarding workers, the Board shall frame rules for payment of gratuity to listed dock clearing and forwarding workers.

53. Penalties :—A contravention of clause 37 shall be punishable with imprisonment for a period not exceeding three months in respect of a first contravention or six months in respect of any subsequent contravention or with fine not exceeding five hundred rupees in respect of first contravention or one thousand rupees in respect of any subsequent contravention, or with both imprisonment and fine as aforesaid.

SCHEDULE-I

[See Clause 2 (ii)]

Clauses or descriptions of dock work and listed dock clearing and forwarding workers to which the Scheme applied.

(1) Loading into or unloading from lorries, trailors and wagons of import and export cargo either at wharf, shed, godown or open plots leased or rented but shall exclude loading and unloading operations in respect of —

(1) Cargoes in bulk;

(2) Project materials of the Port Trust handled by the Port Trust workers;

(3) Ship's stores;

(4) Personal baggage and

(5) Loading and unloading of crago consigned to or by Defence Department.

(2) The following categories of listed dock clearing and forwarding workers :

(a) Maistry;

(b) Mazdoor.

SCHEDULE II

(See Clause 28)

The minimum number of days in a month for which wages are guarantee should be assessed annually on the basis of the average employment during the immediately preceding 12 months according to the following procedure.

(a) The total number of manshifts worked every month by listed dock clearing and forwarding workers or mazdoors and leave reserve workers in the listed pool should be recorded.

(b) The effective strength of listed clearing and forwarding workers or mazdoors and leave reserve workers in the listed pool on all working days should be recorded.

The effective strength of listed clearing and forwarding workers or mazdoors and leave reserve workers in the listed pool on a particular working day shall be	The Number of listed clearing and forwarding workers or mazdoors and leave reserve workers on the listed pool register on that day.	Number of listed clearing and forwarding workers or mazdoors and leave reserve workers in the listed Pool on authorised or unauthorised leave plus number of workers in these categories who died or whose services were terminated on that day.

(c) The effective strength of listed clearing and forwarding workers or mazdoors on all the working days in a month obtained under (b) above should be added up and divided by the number of working days in the month to yield the effective strength of these workers for the month.

(d) Item (a) should be divided by item (c) to yield the average employment per worker per month in these categories.

(e) The average obtained under (d) above for 12 consecutive months should be added up and divided by 12. The average so obtained shall be fixed as the minimum guarantee for the next 12 months.

For clarification, an example is given below :

Suppose that an assessment is made in July 1986 and suppose the effective strength of listed clearing and forwarding workers or mazdoors and leave reserve workers in the listed pool and the man-shifts worked by them during the period 1985 to June '86 are as shown under columns (2) and (3) of the Table below :—

TABLE

Month	Effective Strength	Total No. of manshifts worked	Average Employment per workers per month (shifts)
1	2	3	4
July, 1985	532	9584	18
August	530	8959	17
September	529	8852	17
October	529	8795	17
November	527	9181	17
December	523	9137	17
January 1986	521	6318	12
February	521	7146	14
March	521	6793	13
April	521	4126	8
May	520	5026	10
June	520	7182	14

Column : (3) divided by Column (2) will show the average employment per worker per month and this is shown in column (4) of the Table.

The minimum number of days in a month for which wages should be guaranteed during the period July 1985 to June 1986 will be

$$\frac{18+17+17+17+17+17+12+14+13+8+10+14}{12}=14.5.$$

After rounding off to the nearest day : 15 days.

Although this average has been calculated for the lowest categories of workers only, it will apply to all the categories of listed clearing and forwarding workers, namely, Mistry and Mazdoor. If a new category is listed, the minimum guarantee for this category to start with will be determined as has been provided in the principle relating to the listing of new categories mentioned in clause 18(2) of the Scheme.

Similar calculation should be made in July 1987 and thereafter every year. If the average number of days in any year works out to be less than the minimum number of days for which wages have already been guaranteed, the later number will not be reduced. In other words, the minimum number of days in a month for which wages are guaranteed will progressively increased but will never be decreased.

[File No. LB-13013|5|86-LIV (i)]

P. V. RAO, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1987